नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 331, नई दिल्ली, शुक्रवार 30 जनवरी 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जिंदगी हमेशा आपको एक नया मौका देती है, सरल शब्दों में उसे कल कहते हैं।

02 "यह अमूल्य जीवन कैसे जीना है यह आप पर निर्भर करता है ना की दूसरों पर"

06 सुप्रीम कोर्ट की यूजीसी नियमों पर रोक: सत्ता की साजिश को संविधान ने पटक दिया

08 राज्यसभा चुनाव शुरू हो गए हैं, बीजेडी का असली चेहरा सामने आएगा

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के इक्विटी नियम 2026 पर लगाई रोक: 'असपष्ट और दुरुपयोग योग्य' — कोर्ट के मुख्य तथ्य

संजय कुमार बाठला

28 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026' पर अंतरिम रोक लगा दी।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने नियमों को 'कम्पलीटली वेग' (पूरी तरह अस्पष्ट) और 'कैपेबल ऑफ मिसयूज' (दुरुपयोग योग्य) करार दिया।

कोर्ट ने आदेश दिया कि तब तक 2012 के पुराने UGC नियम लागू रहेंगे, और केंद्र व UGC को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को तय की।

यह फैसला रोहित वेमुला और पायल तडवी की माताओं द्वारा 2019 में दायर PIL के बाद बने नियमों पर आया, जो कैंपस में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से थे।

लेकिन जनवरी 2026 में अधिसूचित होने के तुरंत बाद सामान्य वर्ग के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए, और मृतुनजय तिवारी, वकील विनीत जिंदल व राहुल देवान की याचिकाओं (WP(C) 101, 109, 108/2026) में इन्हें असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने इन नियमों को 'समाज को बांटने वाला' माना, जो संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता) का उल्लंघन करता है।

कोर्ट में मुख्य बहस और जजों के सवाल सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने तीखे सवाल उठाए। उन्होंने पूछा:

* "75 साल आजादी के बाद क्या हम जाति - विहीन समाज की दिशा में पीछे खिसक रहे हैं?

* " बेंच ने रेगुलेशन 3(1)(c) पर आपत्ति जताई, जो 'कास्ट-बेस्ड डिसक्रिमिनेशन' को केवल SC/ST/OBC के खिलाफ परिभाषित करता है— सामान्य वर्ग के खिलाफ नहीं।

*याचिकाकर्ता विष्णु शंकर जैन ने तर्क दिया कि रेगुलेशन 3(1)(e) पहले से सभी भेदभाव को कवर करता है, अतिरिक्त परिभाषा 'रिडंडेंट' (अतिरिक्त) और भेदभावपूर्ण है।

CJI ने उदाहरण दिया:

* "अगर उत्तर भारत के कॉलेज में दक्षिण भारतीय छात्र को जाति - अज्ञात अपमान सहना पड़े, तो क्या 3(e) पर्याप्त नहीं?

*" जस्टिस बागची ने 'नॉन-रिग्रेशन' सिद्धांत का हवाला दिया — 2012 के समावेशी नियमों से क्यों पीछे हटें?

बेंच ने रैगिंग को नियमों से बाहर छोड़ने पर सवाल उठाया:

*"रैगिंग जूनियर - सीनियर आधार पर होती है, जाति हमेशा नहीं — क्यों अनदेखा?

* " कोर्ट ने सुझाव दिया कि नियमों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति (इमिनेंट ज्यूरिस्ट्स सहित) बने

सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने 2019 PIL का बचाव किया,

लेकिन CJI ने चेतायाः

* "कृपया अलग हॉस्टल न बनाएं— हम सब एक साथ रहते थे,

* अंतर - जातीय विवाह होते हैं!

* " उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहाः "यह समाज को बांटेगा, खतरनाक परिणाम होंगे।"

पृष्ठभूमि: विरोध से कोर्ट तक

* 13 जनवरी 2026 को UGC ने ये नियम अधिसूचित किए, जो 2012 फ्रेमवर्क को बदलते थे।

* सामान्य वर्ग ने आरोप लगाया कि ये 'रिवर्स डिसक्रिमिनेशन' को बढ़ावा देते हैं — जैसे SC/ST सीनियर द्वारा सामान्य फ्रेशर पर रैगिंग का कोई उपाय नहीं।

* कैंपस विरोध बढ़े, राजनीतिक बयानबाजी हुई।

* कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत 2012 नियम बहाल कर 'रोबस्ट मैकेनिज्म' सुनिश्चित किया।

यह रोक सत्ता की मनमानी पर संवैधानिक चेक है। सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया कि वह छात्रों - शिक्षकों के साथ है, ना कि किसी एजेंडे के। लोकतंत्र संस्थाओं से चलता है — इस फैसले से उम्मीद बंधी है।

उच्च शिक्षा संस्थानों पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तत्काल सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 2026 के UGC नियमों पर रोक लगने से 2012 के पुराने नियम बहाल हो गए हैं। इससे जातिगत भेदभाव की नई परिभाषा रद्द हो गई, जो सामान्य वर्ग को असुरक्षित महसूस करा रही थी।

तत्काल प्रभाव

* संस्थानों को अब 2012 UGC फ्रेमवर्क (UGC (Promotion of Equity in Higher Educational Institutions) Regulations, 2012) के तहत काम करना होगा।

* नए नियमों में SC/ST/OBC के खिलाफ 'कास्ट - बेस्ड डिसक्रिमिनेशन' की अलग परिभाषा (रेगुलेशन 3(1)(c)) रद्द हो गई, जो सामान्य वर्ग को बाहर करती थी।

* इससे कैंपस में शिकायतें पहले से समावेशी तरीके से (रेगुलेशन 3(1)(e) के तहत सभी भेदभाव) संभाली जाएंगी।

कोर्ट ने रैगिंग को अलग से संबोधित करने पर जोर दिया, जो जूनियर - सीनियर आधार पर होता है।

छात्रों और भर्ती पर असर

* PhD प्रवेश, NET अनिवार्यता या अन्य बदलावों पर अनिश्चितता कम हुई — पुराने नियम लागू रहेंगे।

* सामान्य वर्ग छात्रों को 'रिवर्स डिसक्रिमिनेशन' का डर खत्म; सभी के लिए समान सुरक्षा।

* कैंपस विरोध प्रदर्शन (जनवरी 2026 से चले आ रहे) शांत होंगे, क्योंकि कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति का सुझाव दिया है।

* दीर्घकालिक प्रभाव 19 मार्च 2026 की अगली सुनवाई तक संस्थान पुराने नियमों पर निर्भर रहेंगे।

* अगर नए नियम स्थायी रूप से रद्द हुए, तो शिक्षा अधिक समावेशी बनेगी — जाति - केंद्रित ना होकर सभी भेदभाव पर फोकस।

* लेकिन केंद्र अगर अपील करेगा, तो अनिश्चितता बनी रहेगी।

* कुल मिलाकर, यह फैसला संस्थागत स्वायत्तता बचाता है और संवैधानिक समानता को मजबूत करता है।

नीचे हम आपको बता रहे है क्या है पहलू और 2026 नियम जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और 2012 के क्या नियम लागू रहेंगे इस आदेश के उपरान्त

पहलू:- 2026 नियम (रोकित) -- 2012 नियम (बहाल)

1. भेदभाव परिभाषाः- केवल SC/ST/OBC के खिलाफ -- सभी प्रकार का (समावेशी)

2. रैगिंग कवरेजः- जाति-आधारित सीमित -- सामान्य प्रावधान

3. लागू अवधिः- रद्द/रोक -- तत्काल बहाली

यह बदलाव उच्च शिक्षा को राजनीति से दूर रखेगा।

रोहिणी व रिठाला क्षेत्र में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत चला जागरूकता अभियान

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली। दिनांक 11 जनवरी से 17 जनवरी 2026 तक सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर जय भारत मोटर ड्राइविंग स्किल एंड रिसर्च सोसायटी द्वारा दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-20 से सेक्टर-25, रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन, रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन तथा रिठाला मेट्रो स्टेशन और उसके आसपास के क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया।

इस अभियान के अंतर्गत संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने आम नागरिकों, वाहन चालकों, दोपहिया चालकों तथा पैदल यात्रियों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया। लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, शराब पीकर वाहन न चलाने, मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, गति सीमा का पालन करने तथा पैदल यात्रियों के अधिकारों का सम्मान करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई।

संस्था द्वारा यह संदेश दिया गया कि एक छोटी-सी सावधानी किसी का पूरा जीवन बचा सकती है। अभियान के दौरान पंपलेट वितरण एवं प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित किया गया।

इस संबंध में जय भारत मोटर ड्राइविंग स्किल एंड रिसर्च सोसायटी के महासचिव श्री महेंद्र सिंह वशिष्ठ ने अभियान से जुड़ी संपूर्ण जानकारी न्यूज़ पेपर के प्रकाशक व संपादक को उपलब्ध कराई, जिसके आधार पर यह समाचार प्रकाशित किया जा रहा है।

संस्था का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना एवं समाज में सुरक्षित सड़क – सुरक्षित जीवन की भावना को सुदृढ़ करना है। संस्था ने भविष्य में भी इस प्रकार के जनहितकारी जागरूकता अभियानों को निरंतर जारी रखने की बात कही है।

विमान हादसों में नेताओं की असमय विदाई: संयोग, चयन-पूर्वाग्रह या व्यवस्था की गहरी कमजोरी?

— डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत की राजनीतिक यात्रा बार-बार आकाशी हादसों की भेंट चढ़ती रही है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की बारामती विमान दुर्घटना ने एक बार फिर पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। पांच लोगों की मौत के साथ राजनीति में एक ऐसा शून्य पैदा हुआ, जिसकी भरपाई केवल संवेदनाओं से संभव नहीं। यह पहला मामला नहीं है—संजय गांधी (1980), माधवराव सिंधिया (2001), वाई.एस. राजशेखर रेड्डी (2009) जैसे उदाहरण बताते हैं कि उच्च पदस्थ नेताओं की अकाल मृत्यु बार-बार एक ही प्रश्न खड़ा करती है: क्या विमान हादसे महज़ संयोग हैं, किसी साजिश का परिणाम, या फिर हमारी राजनीतिक यात्रा-संस्कृति और विमानन व्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरी?

भारतीय राजनीति में हवाई यात्रा अब सुविधा नहीं, बल्कि जीवनरेखा बन चुकी है। चुनावी दौर में एक प्रत्याशी औसतन 120–150 सभाएँ करता है; सप्ताह में 40–50 उड़ानें असामान्य नहीं। महाराष्ट्र जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से सक्रिय राज्य में बारामती–मुंबई–दिल्ली के बीच निरंतर आवाजाही समय की मजबूरी है। ऐसे में चार्टर्ड विमान और हेलीकॉप्टर नेताओं की पहली पसंद बनते हैं।

लेकिन यही विकल्प सबसे अधिक जोखिमपूर्ण भी हैं। आंकड़े बताते हैं कि प्राइवेट और चार्टर्ड विमानों की दुर्घटना दर कमर्शियल एयरलाइंस की तुलना में कई गुना अधिक है। कारण स्पष्ट हैं—सीमित पायलट अनुभव, पुराने विमानों का उपयोग, मौसम पर अत्यधिक निर्भरता, अस्थायी हेलीपैड और डीजीसीए की अपेक्षाकृत ढीली निगरानी।

अजित पवार की दुर्घटना हो या वाई.एस. राजशेखर रेड्डी का हेलीकॉप्टर हादसा, या माधवराव सिंधिया का चार्टर्ड विमान—प्रारंभिक और अंतिम जाँचें बार-बार पायलट त्रुटि, तकनीकी विफलता या प्रतिकूल मौसम की ओर इशारा करती हैं। यह भी स्पष्ट है कि नेता रेल या कमर्शियल फ्लाइट से इसलिए बचते हैं क्योंकि वे चुनावी प्रचार की गति से मेल नहीं खा पातीं।

चुनावी मौसम में यह जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान सैकड़ों हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड विमान किराये पर लिए गए। कई मामलों में रखरखाव प्रमाण-पत्रों, पायलट रेस्ट-नॉर्म्स और हेलीपैड मानकों की अनदेखी सामने आई। राजनीतिक दलों द्वारा लिए जाने वाले तथाकथित 'पॉलिटिकल पैकेज'—कम कीमत, पुराने मॉडल—जोखिम को और बढ़ाते हैं।

एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या वास्तव में केवल नेता ही विमान हादसों में मरते हैं? उत्तर है—नहीं। भारत में हर वर्ष सैकड़ों छोटे विमान और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएँ होती हैं, जिनमें आम नागरिक भी मारे जाते हैं। लेकिन मीडिया का फोकस हाई-प्रोफाइल चेहरों पर टिक जाता है। यही चयन-पूर्वाग्रह है—जो दिखता है, वही पूरा सत्य लगने लगता है।

वैश्विक स्तर पर भी यही प्रवृत्ति दिखती है। अमेरिका में जॉन एफ. कैनेडी जूनियर, यूरोप में पोलैंड के राष्ट्रपति लेह काचिंस्की, अफ्रीका और रूस में राष्ट्राध्यक्षों की हवाई दुर्घटनाएँ—हर जगह साजिश की थ्योरी पहले आती है, तथ्य बाद में। जबकि अंतरराष्ट्रीय विमानन आंकड़े बताते हैं कि जनरल एविएशन में अधिकांश दुर्घटनाएँ मानवीय भूल और सिस्टम फेलियर का परिणाम होती हैं। दुर्भाग्य से मीडिया की सनसनीखेज़ी इन हादसों को 'राजनीतिक षड्यंत्र' में बदल देती है। इससे न केवल जांच प्रक्रिया प्रभावित होती है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अविश्वास भी गहराता है।

समस्या मूलतः व्यवस्थागत है। डीजीसीए के पास चार्टर्ड विमानों की निगरानी के लिए संसाधन सीमित हैं। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश मौजूद हैं, पर उनका प्रवर्तन कमजोर है। पायलट प्रशिक्षण, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली और अस्थायी हेलीपैड—तीनों में गंभीर सुधार की ज़रूरत है।

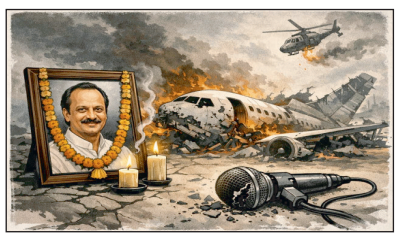

अब समय आ गया है कि शोक के बाद भूलने की परंपरा छोड़ी जाए। इसके लिए कुछ ठोस और व्यावहारिक कदम अनिवार्य हैं। सबसे पहले, राजनेताओं के लिए एक डेडिकेटेड एयर विंग विकसित किया जाना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे भारतीय वायुसेना का वीवीआईपी बेड़ा संचालित होता है, जिसमें आधुनिक हेलीकॉप्टर, उन्नत जीपीएस-रडार सिस्टम और अत्यधिक प्रशिक्षित पायलट हों। दूसरा, चुनावी मौसम में उपयोग होने वाले चार्टर्ड विमानों और हेलीकॉप्टरों के लिए सख्त राष्ट्रीय मानक तय किए जाएँ और उनकी रियल-टाइम डिजिटल ट्रैकिंग अनिवार्य की जाए, ताकि सुरक्षा से कोई समझौता न हो। तीसरा, नेताओं की अत्यधिक यात्रा को कम करने के लिए वर्चुअल रैलियों, डिजिटल संवाद और तकनीक आधारित प्रचार को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे अनावश्यक उड़ानों का दबाव घटे। चौथा, पायलट प्रशिक्षण, उड़ान से पहले तकनीकी जाँच और विमान रखरखाव पर जीरो-टॉलरेंस नीति अपनाई जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वाली प्राइवेट कंपनियों पर कठोर दंड लगाया जाए। अंततः, मीडिया के लिए भी जिम्मेदार रिपोर्टिंग संबंधी स्पष्ट गाइडलाइंस तय हों, ताकि हर विमान हादसे को साजिश में बदलने की प्रवृत्ति पर रोक लग सके।

नेताओं की असमय मृत्यु केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं होती—वह सत्ता संतुलन, नीतिगत निरंतरता और लोकतांत्रिक भरोसे को भी चोट पहुँचाती है। अजित पवार, वाई.एस.आर. या संजय गांधी—हर हादसा हमें चेतावनी देता है। विमान दुर्घटनाएँ साजिश नहीं, बल्कि लापरवाही, दबाव और कमजोर व्यवस्था का परिणाम हैं। अगर आज सुधार नहीं हुआ, तो कल शोक केवल दोहराया जाएगा।

लोकतंत्र के पायलटों को सुरक्षित आकाश चाहिए—यह केवल एक भावनात्मक नारा नहीं, बल्कि समय की ठोस माँग है। बार-बार होने वाले विमान और हेलीकॉप्टर हादसे यह स्पष्ट कर चुके हैं कि समस्या किसी एक नेता, एक दल या एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी राजनीतिक यात्रा-संस्कृति और विमानन व्यवस्था की गहरी संरचनात्मक कमजोरी से जुड़ी है। जब लोकतंत्र के प्रतिनिधि असुरक्षित साधनों से यात्रा करने को मजबूर होते हैं, तो उसका दुष्परिणाम केवल एक परिवार या दल नहीं, बल्कि पूरे शासन तंत्र को भुगतना पड़ता है।

नेताओं की असमय मृत्यु सत्ता में शून्य, नीतियों में अस्थिरता और जनता के भरोसे में दरार पैदा करती है। इसके साथ ही साजिश की अफवाहें लोकतांत्रिक संस्थाओं को और कमजोर करती हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हर हादसे के बाद संवेदना व्यक्त कर आगे बढ़ जाने के बजाय, ठोस सुधारों को राजनीतिक इच्छा-शक्ति से जोड़ा जाए। सुरक्षा मानकों में ढील, निगरानी की कमजोरी और जल्दबाज़ी में की गई उड़ानें किसी भी लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो सकती हैं।

यदि भारत सचमुच मजबूत और स्थिर लोकतंत्र की ओर बढ़ना चाहता है, तो उसे अपने प्रतिनिधियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। सुधार आज होंगे, तभी कल शोक की पुनरावृत्ति रुकेगी। सुरक्षित आकाश केवल नेताओं के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र की निरंतर उड़ान के लिए अनिवार्य है।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

पिंकी कुंडू

आज का साइबर सुरक्षा विचार : "मजबूत ढाँचे कमजोर कानूनों से नहीं, बल्कि कमजोर प्रवर्तन और मानवीय हेरफेर से असफल होते हैं।"

म्यूल अकाउंट की चुनौती

* आरबीआई की अपडेटेड KYC निर्देश, 2025 के बावजूद म्यूल अकाउंट का खतरा थम नहीं रहा है।

* भारतीय रिजर्व बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित रखने हेतु सख्त KYC मानक निर्धारित किए हैं।

*** इनमें शामिल हैं:**

– व्यक्तियों, फर्मों और कानूनी संस्थाओं के लिए ग्राहक उचित परिश्रम (CDD)।

– लाभकारी स्वामी (Beneficial Owner) की पहचान (10–15% स्वामित्व/नियंत्रण सीमा)।

– उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस (EDD)।

– वीडियो आधारित CIP (V-CIP) और डिजिटल KYC ताकि प्रतिरूपण जोखिम कम हो।

– निरंतर ड्यू डिलिजेंस और ग्राहक रिकॉर्ड का समय-समय पर अद्यतन।

– संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्टिंग FIU-IND (Financial Intelligence Unit – India) को।

कागज़ पर यह ढाँचा व्यापक और FATF-अनुरूप है। फिर भी, म्यूल अकाउंट्स लगातार पनप रहे हैं।

* FATF (Financial Action Task Force) वैश्विक मानक तय करता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण रोका जा सके।

* भारत, FATF सदस्य होने के नाते, सुनिश्चित करता है कि RBI का KYC ढाँचा इन सिद्धांतों को दर्शाता है।

म्यूल अकाउंट क्यों अब भी फल-फूल रहे हैं मजबूत KYC नियमों के बावजूद, साइबर अपराधी प्रणालीगत खामियों और मानवीय कमजोरियों का फायदा उठाते हैं:

1. सोशल इंजीनियरिंग और भर्ती

– धोखेबाज़ छात्र, बेरोज़गार युवाओं और गिग वर्करों को आसान पैसे का लालच देते हैं।

– पीड़ित स्वयं क्रेडेंशियल साझा करते हैं या अपराधियों के लिए खाते खोलते हैं।

2. पहचान चोरी और कृत्रिम पहचान

– चोरी हुए आधार, पैन या वोटर आईडी से नकली पहचान बनाई जाती है।

– ग्रामीण/दूरस्थ शाखाओं या बड़े अकाउंट ड्राइव में कमजोर सत्यापन से फर्जी खाते खुलते हैं।

3. बैंकों में परिचालन खामियाँ

– समय पर पता अद्यतन या दस्तावेज़ पुनः सत्यापन नहीं होता।

– अधिक मात्रा के दबाव में कर्मचारी गति को प्राथमिकता देते हैं, जाँच को नहीं।

4. अंदरूनी मिलीभगत

– कुछ कर्मचारी रिश्वत या दबाव में म्यूल अकाउंट खोलने में मदद करते हैं।

– छोटे बैंकों/सहकारी संस्थाओं में मजबूत ऑडिट ट्रेल की कमी जोखिम बढ़ाती है।

5. सीमा-पार खामियाँ

– विदेशी शाखाएँ नियामकीय असमानताओं का सामना करती हैं; अपराधी कमजोर नियमों का फायदा उठाते हैं।

– कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग चैनलों का उपयोग लेन-देन की परतें बनाने में होता है।

6. डिजिटल अंधे क्षेत्र

– गैर-प्रत्यक्ष ऑनबोर्डिंग (ऐप्स, V-CIP) डीपफेक और नकली दस्तावेजों से प्रभावित होती है।

– एआई-आधारित धोखाधड़ी: अपराधी बॉट्स से चोरी किए गए डेटा पर आधारित म्यूल अकाउंट्स बनाते हैं।

7. नागरिक जागरूकता की कमी

– कई नागरिक नहीं समझते कि "त्वरित कमीशन" के लिए अपना खाता देना उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग में सहभागी बनाता है।

– जागरूकता अभियान धोखाधड़ी के नवाचार की गति से पीछे हैं।

– नागरिक जिम्मेदारी: खाता व्यक्तिगत पहचान है, इसे किराए पर देना अपराध में भागीदारी है।

आज का निष्कर्ष "KYC ताला है, लेकिन सतर्कता चाबी है। नागरिक जागरूकता और सख्त प्रवर्तन के बिना, म्यूल अकाउंट्स साइबर अपराध के मौन वाहक बने रहेंगे।"

"म्यूल अकाउंट = साइबर अपराध का द्वार। अपना खाता किराए पर न दें।"

स्वास्थ्य विशेष

स्वास्थ्य आपका कोशिश हमारी

पिंकी कुंडू

"यह अमूल्य जीवन कैसे जीना है यह आप पर निर्भर करता है ना की दूसरों पर"

बढ़ती उम्र पर सलाह

1. संख्याओं को दूर फेंक आइए। जैसे - उम्र, वजन और लंबाई। इसकी चिंता डॉक्टर को करने दीजिये ।

2. केवल हँसमुख लोगों से दोस्ती रखिए। खड़ूस और चिड़चिड़े लोग तो आपको नीचे गिरा देंगे।

3. हमेशा कुछ सीखते रहिए। इनके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करिए - कम्प्यूटर, शिल्प, बागवानी, आदि कुछ भी। चाहे रेडियो ही। दिमाग को निष्क्रिय न रहने दें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और उस शैतान के परिवार का नाम है - लाइलाज मनोरोग।

4. सरल व साधारण चीजों का आनंद लीजिए।

5. खूब हँसा कीजिए - देर तक और ऊँची आवाज़ में।

6. आँसू तो आते ही हैं। उन्हें आने दीजिए, रो लीजिए, दुःख भी महसूस कर लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। केवल एक व्यक्ति है जो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहता है - वो हैं हम खुद। इसलिए जब तक जीवन है तब तक 'जिन्दा' रहिए।

7. अपने इर्द - गिर्द वो सब रखिए जो आपको प्यारा लगता हो - चाहे आपका परिवार, पालतू जानवर, स्मृतिचिह्न - उपहार, संगीत, पौधे, कोई शौक या कुछ भी। आपका घर ही आपका आश्रय है।

8. अपनी सेहत को संजोइए। यदि यह ठीक है तो बचाकर रखिए, अस्थिर है तो सुधार करिए, और यदि असाध्य है तो कोई मदद लीजिए।

9. अपराध - बोध की ओर मत जाइए। जाना ही है तो किसी मॉल में घूम लीजिए, पड़ोसी राज्यों की सैर कर लीजिए या विदेश घूम आइए। लेकिन वहाँ कतई नहीं जहाँ खुद के बारे में खराब लगने लगे।

10. जिन्हें आप प्यार करते हैं उनसे हर मौके पर बताइए कि आप उन्हें चाहते हैं; और हमेशा याद रखिए कि जीवन की माप उन साँसों की संख्या से नहीं होती जो हम लेते और छोड़ते हैं बल्कि उन लम्हों से होती है जो हमारी सांस लेकर चले जाते हैं

जीवन की यात्रा का अर्थ यह नहीं कि

* अच्छे से बचाकर रखा हुआ आपका शरीर सुरक्षित तरीके से श्मशान तक पहुँच जाय।

बल्कि

* आड़े-तिरछे फिसलते हुए, पूरी तरह से इस्तेमाल होकर, सधकर, चूर - चूर होकर यह चिल्लाते हुए पहुँचो - वाह यार, क्या यात्रा थी।

हेल्थ केयर: घरेलू नुस्खे काली मिर्च

1. काली मिर्च में पिपेरिन होता है, यह एक ऐसा कंपाउंड है जो मेटाबॉलिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है और शरीर में फैट जमा होने से रोकता है। यह मसाला अच्छे कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है। यह गोल मसाला एक थर्मोजेनिक फूड है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस को तेज करने और कैलोरी को ज्यादा तेजी से बर्न करने में मदद करता है।

2. काली मिर्च खाने से आपको अपने रोजाना के विटामिन K की जरूरत पूरी करने में भी मदद मिलती है। काली मिर्च में जरूरी मिनरल भी होते हैं, जो काफी मात्रा में मैंगनीज और कॉपर देते हैं। हेल्दी मेटाबॉलिज्म के लिए आपको दोनों मिनरल की जरूरत होती है। मैंगनीज आपके शरीर को न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने में मदद करता है, जबकि कॉपर

एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है।

3. अपने एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण, काली मिर्च खांसी और सर्दी को ठीक करने का एक असरदार नेचुरल इलाज है। इसके अलावा, इस मसाले का गर्म और मसालेदार स्वाद कफ को ढीला करने और बंद नाक से राहत दिलाने में मदद करता है।

व्यवहार संबंधी व्यसन: संकेत, लक्षण और उपचार

व्यसन (Addiction) शब्द सुनते ही अक्सर शराब, तंबाकू या नशीले पदार्थों का ख्याल आता है, लेकिन आज के डिजिटल और तेज़ - तर्रार जीवन में व्यवहार संबंधी व्यसन (Behavioral Addiction) भी एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। इसमें व्यक्ति किसी खास व्यवहार को बार - बार करने के लिए मजबूर महसूस करता है, भले ही उससे उसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक नुकसान हो रहा हो ।

व्यवहार संबंधी व्यसन क्या है? व्यवहार संबंधी व्यसन वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति किसी गतिविधि या आदत पर अपना नियंत्रण खो देता है। यह व्यसन किसी पदार्थ पर नहीं, बल्कि किसी व्यवहार पर निर्भर होता है।

उदाहरण:

1. मोबाइल या इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग
2. सोशल मीडिया की लत
3. जुआ (Gambling)
4. ऑनलाइन गेमिंग
5. खरीदारी की लत (Compulsive Shopping)
6. काम की लत (Workaholism)
7. अश्लील सामग्री देखने की लत

व्यवहार संबंधी व्यसन के संकेत व्यवहार संबंधी व्यसन धीरे-धीरे विकसित होता है, इसलिए इसके शुरुआती संकेतों को पहचानना बहुत ज़रूरी है:

1. किसी एक गतिविधि में अत्यधिक समय बिताना
2. बार-बार कोशिश के बावजूद उस व्यवहार को न छोड़ पाना
3. जिम्मेदारियों (काम, पढ़ाई, परिवार) की अनदेखी
4. उस व्यवहार के बिना बेचैनी या चिड़चिड़ापन महसूस करना
5. झूठ बोलना या दूसरों से उस व्यवहार को छिपाना
6. नुकसान होने के बावजूद वही व्यवहार दोहराना

व्यवहार संबंधी व्यसन के लक्षण

मानसिक लक्षण:

1. चिंता और तनाव
2. अवसाद
3. ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई
4. आत्म - नियंत्रण की कमी

शारीरिक लक्षण:

1. नींद की समस्या
2. सिरदर्द या थकान
3. आंखों में दर्द (डिजिटल व्यसन में)
4. भूख में बदलाव

सामाजिक लक्षण:

1. परिवार और दोस्तों से दूरी
2. अकेलापन
3. रिश्तों में तनाव
4. कार्य या पढ़ाई में गिरावट

व्यवहार संबंधी व्यसन के कारण

1. तनाव और भावनात्मक असंतुलन
2. अकेलापन या सामाजिक समर्थन की कमी
3. बचपन के अनुभव या आघात (Trauma)
4. कम आत्म-सम्मान
5. आसान उपलब्धता (जैसे स्मार्टफोन, इंटरनेट)
6. तुरंत सुख (Instant Gratification) की आदत

व्यवहार संबंधी व्यसन का उपचार व्यवहार संबंधी व्यसन का इलाज संभव है, बशर्ते समय पर सही कदम उठाए जाएं।

1. मनोचिकित्सकीय परामर्श (Counseling) कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी (CBT) सबसे प्रभावी मानी जाती है, यह थेरेपी नकारात्मक सोच और आदतों को बदलने में मदद करती है

2. आत्म - नियंत्रण और जागरूकता अपने ट्रिगर्स (उत्तेजक कारणों) को पहचानना और समय की सीमा तय करना (जैसे स्क्रीन टाइम)

3. परिवार और सामाजिक सहयोग परिवार का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। खुलकर बातचीत और समर्थन

4. स्वस्थ विकल्प अपनाना

* योग और ध्यान
* व्यायाम
* रचनात्मक गतिविधियाँ (कला, संगीत, लेखन)

व्यवहार संबंधी व्यसन एक अदृश्य लेकिन गहरी समस्या है, जो व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है। इसे कमजोरी नहीं, बल्कि एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समझना चाहिए। सही समय पर पहचान, समझ और उपचार से इससे बाहर निकला जा सकता है। जागरूकता, संतुलन और सहयोग ही इसका सबसे प्रभावी समाधान है।

इलाज के लिए सहायता: यदि आप या कोई परिचित इनमें से किसी समस्या से जूझ रहा है, तो आप पेशेवर परामर्श ले सकते हैं।

मरुआ के कुछ प्रमुख स्वास्थ्य लाभ

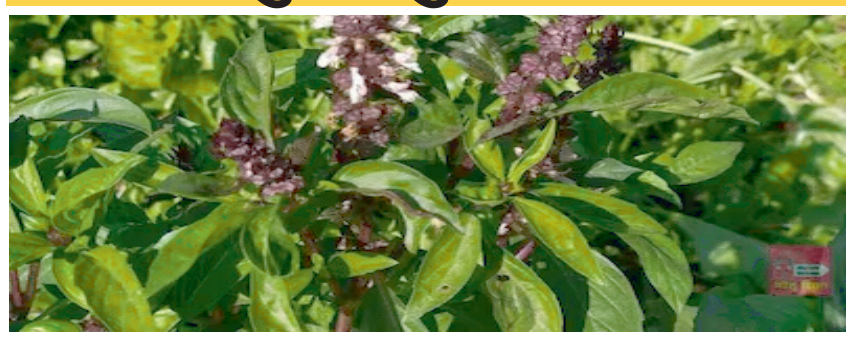

पिंकी कुंडू

मरुआ एक आर्युवेदिक पौधा है. इसके पत्तों में पोटैशियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन और कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी6 और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल विभिन्न तरह की दवाइयों को बनाने में किया जाता है।

आइए जानते हैं मरुआ के कुछ प्रमुख स्वास्थ्य लाभ:

1. सर्दी-जुकाम और खांसी में आराम मरुआ की पत्तियां सर्दी-जुकाम और खांसी में आराम दिलाती हैं। इसके लिए आप मरुआ की पत्तियों को चाय में डालकर पी सकते हैं। आप चाहें तो मुलेठी भी डाल सकते हैं, जो खांसी को कम करने में मदद करती है।

2. पेट के कीड़े की समस्या को दूर करना मरुआ की चटनी पेट के कीड़े की समस्या को दूर करती है। इसके लिए आप मरुआ की पत्तियों को पीसकर चटनी बना लें और इसे अपने बच्चों को खाने के लिए दें। यह पेट के कीड़े को नष्ट करने में मदद करता है।

3. अपच की समस्या को दूर करना मरुआ की पत्तियां अपच की समस्या को दूर करने में भी लाभकारी हैं। इसके लिए आप मरुआ और अदरक की चटनी बना लें और इसे अपने भोजन के साथ खाएं। यह अपच की समस्या को दूर करने में मदद करता है।

4. कफ रोगियों के लिए गुणकारी मरुआ कफ रोगियों के लिए गुणकारी है। इसका काढ़ा पीने से खांसी दूर होती है। फेफड़ों की सफाई होती है, साथ ही इससे गले में जमा बलगम भी आसानी से निकलता है।

5. मुंह की बदबू और मसूड़ों की समस्या को दूर करना मरुआ के पत्ते मुंह की बदबू और मसूड़ों की समस्या को दूर करते हैं। इसके लिए आप मरुआ की पत्तियों को चबाएं और थूक दें। इससे आपके मुंह की दुर्गंध दूर होगी और मसूड़ों की समस्या भी दूर होगी।

नोट: मरुआ पौधे के फल और पत्तों को सेहत के लिए इस्तेमाल करने से पहले आप किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से ज़रूर विचार - विमर्श करें।

आयुर्वेद का अद्भुत रहस्य — 72,000 नाड़ियाँ और आपकी सेहत

पिंकी कुंडू

आयुर्वेद और योग शास्त्र के अनुसार, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ (एनर्जी चैनल) हैं। इन सीधी नसों के बजाय, सूक्ष्म रास्ते हैं जो जीवन ऊर्जा ले जाते हैं।

अगर ये नाड़ियाँ शुद्ध, एक्टिव और बैलेंस्ड रहें, तो तन — मन — आत्मा तीनों हेल्दी रहते हैं

नाड़ियों को चालू रखने के घरेलू और नेचुरल उपाय

1. प्राणायाम (नाड़ी शोधन) अनुलोम - विलोम सांस लेना

* नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं
* ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है
* रोज़ 15 — 20 मिनट करने पर नसें एक्टिव रहती हैं

2. सूर्य नमस्कार

* मसल्स, जॉइंट्स और नसों को मज़बूत बनाता है
* रात 12 बजे सूर्य नमस्कार = पूरे नर्वस सिस्टम को जगाता है

3. घी वाला दूध:- रात को सोने से पहले गर्म दूध + 1 चम्मच घी

* नसों, नर्वस सिस्टम और दिमाग के लिए बहुत पौष्टिक

4. तिल के तेल से नहाना:- सिर और शरीर पर गर्म तिल के तेल की मालिश

* ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है
* नाड़ियों में रुकावट कम करता है

5. नींद और रूटीन

* 7—8 घंटे की गहरी नींद
* रेगुलर सोने-जागने का समय = नाड़ियों का कायाकल्प

6. खाने में बदलाव

* ताज़े फल, सब्ज़ियाँ, अंकुरित अनाज, सूखे मेवे
* ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा मसालेदार, तले हुए खाने से बचें
* खूब गर्म पानी पिएं

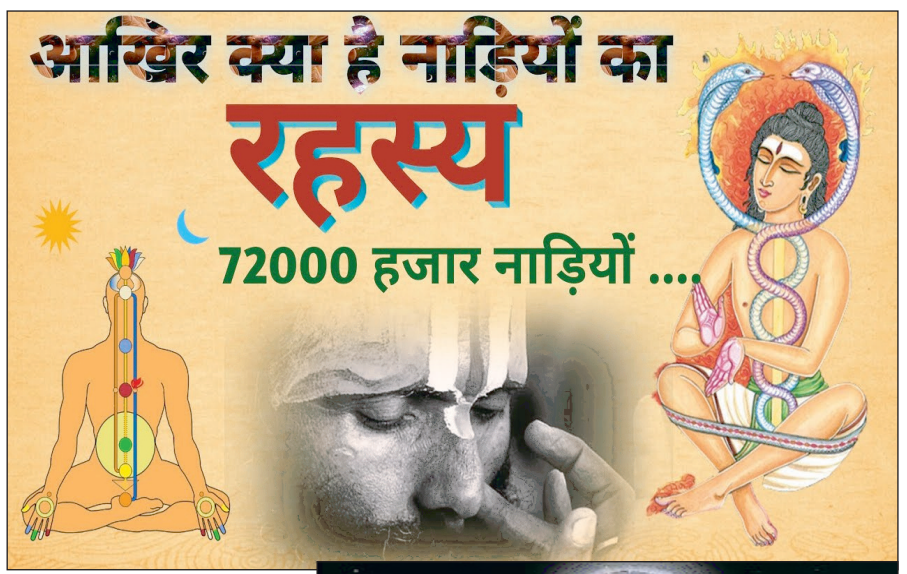

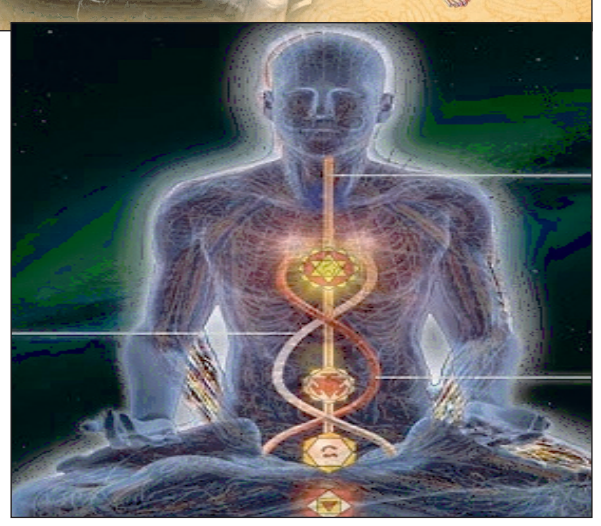

7. मेडिटेशन और मंत्र जाप

* "ॐ" का उच्चारण या शांत मेडिटेशन
* जीवन ऊर्जा का सहज प्रवाह
* संतुलित पल्स

72,000 पल्स पॉइंट्स को एक्टिवेट करने के लिए फुट शेक एक्सपेरिमेंट

सामग्री

1. गर्म पानी (घुटनों तक)
2. 4 कपूर वेफर्स
3. नींबू का रस
4. 2 चम्मच नमक (सेंधा/सादा)
5. 1 चम्मच हल्दी

एक्सपेरिमेंट का तरीका

1. एक टब में गर्म पानी लें
2. कपूर, नींबू, नमक, हल्दी डालें
3. अपने पैरों को एड़ियों तक डुबोएं
4. 15—20 मिनट तक शांति से बैठें
5. अपने पैर पोंछें
6. तिल के तेल/नारियल के तेल से हल्के हाथों से मसाज करें

*** फायदे**

* पैरों के ज़रूरी पॉइंट्स को एक्टिवेट करता है
* 72,000 पल्स पॉइंट्स पर अच्छा असर
* थकान, दर्द, सूजन कम करता है
* नर्वस सिस्टम को मज़बूत करता है
* कम करता है स्ट्रेस
* नींद बेहतर होती है
* बैलेंस्ड लाइफ एनर्जी बनी रहती है

यह एक्सपेरिमेंट हफ्ते में 2-3 बार रात को सोने से पहले करने पर बहुत फायदेमंद होता है।

धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यह सब हेल्दी शरीर से ही मिलते है इसलिए याद रखे सेल्फ रिफाइनमेंट के साथ साथ बाडी रिफाइनमेंट भी उतना ही जरूरी है।

महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष पलाश

पिंकी कुंडू

आयुर्वेद में कई ऐसे पेड़-पौधों का वर्णन मिलता है जिन्हें सेहत के लिए वरदान माना गया है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष है पलाश।

पलाश को टेसू के फूल भी कहा जाता है। इसके फूल, पत्तियाँ, छाल और बीज — सभी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाने में उपयोग किए जाते हैं।

पलाश के औषधीय गुण और स्वास्थ्य लाभ —

1. त्वचा रोगों में लाभकारी :- आयुर्वेद के अनुसार, पलाश के बीजों का पेस्ट लगाने से एक्जिमा, खुजली, फंगल इंफेक्शन और त्वचा के रूखेपन में राहत मिलती है।

2. मधुमेह (डायबिटीज) में सहायक :- पलाश के फूलों में एंटी - हाइपरग्लाइसेमिक गुण पाए जाते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। पलाश की पत्तियों का चूर्ण ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है।

3. घाव भरने में सहायक :- पलाश के बीजों में प्राकृतिक हीलिंग गुण होते हैं। गुलाब जल के साथ पलाश के फूल का पेस्ट बनाकर घाव पर लगाने से रक्तस्राव रुकता है और घाव जल्दी भरता है।

4. बवासीर (पाइल्स) में लाभ :- पलाश के फूल बवासीर में विशेष रूप से लाभकारी माने जाते हैं। सूखे फूलों का चूर्ण या पलाश का शरबत खूनी बवासीर में राहत देने में सहायक होता है।

5. शरीर को हाइड्रेट रखे :- गर्मियों में पलाश के फूल शरीर की प्यास कम करने और उसे हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती।

6. एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण :-

पलाश में सूजन कम करने वाले गुण पाए जाते हैं, जो गठिया, गाउट और अन्य सूजन संबंधी रोगों में लाभकारी होते हैं।

7. एंटीऑक्सिडेंट गुण :- पलाश एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होता है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है और हृदय रोग जैसी बीमारियों के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकता है।

8. पाचन तंत्र के लिए उपयोगी :- पलाश पाचन को सुधारता है और कब्ज, गैस, सूजन व अपच जैसी समस्याओं में राहत देता है।

9. श्वसन रोगों में लाभ :- खांसी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस और सांस की अन्य समस्याओं में पलाश उपयोगी माना जाता है।

10. महिलाओं के लिए लाभकारी :- पलाश मासिक धर्म चक्र को नियमित करने और अधिक रक्तस्राव व दर्द जैसी समस्याओं में सहायक होता है।

पलाश के विभिन्न अंगों के औषधीय उपयोग —

1. फूल :-

● डायबिटीज और पेशाब — फूलों को उबालकर उसका चाय पीने से पेशाब की जलन और डायबिटीज में मदद मिलती है।

● त्वचा रोग — फूलों का लेप खुजली, एक्जिमा और रूखेपन पर लगा सकते है।

● मासिक धर्म — सूखे फूलों का चूर्ण शहद के साथ लेने से मासिक धर्म की गड़बड़ी ठीक करने में सहायक है।

2. पत्ते :-

● सूजन और दर्द — पत्तों पर सरसों का तेल लगाकर जोड़ों पर बांधने से गठिया और सूजन में आराम मिलता है।

● घाव और त्वचा — पत्तों का पेस्ट लगाने से घाव और कटने-फटने में राहत मिलती है।

3. बीज :-

● पेट के कीड़े — बीज पीसकर शहद के साथ सेवन करने से आंतों के कीड़े खत्म होते हैं।

● त्वचा — इसके बीजों का पेस्ट लगाने से एक्जिमा में लाभ होता है।

4. छाल :-

● लिवर और किडनी — छाल का काढ़ा लीवर और किडनी रोगों में फायदेमंद माना जाता है।

● बवासीर और अल्सर — छाल का रस बवासीर और घावों में उपयोगी है।

सावधानी :- पलाश एक प्रभावशाली औषधीय पौधा है, इसलिए इसका सेवन या उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से ही करें।

संजय कुमार बाठला

एक इच्छा: वैराग्य और परम तत्व की यात्रा

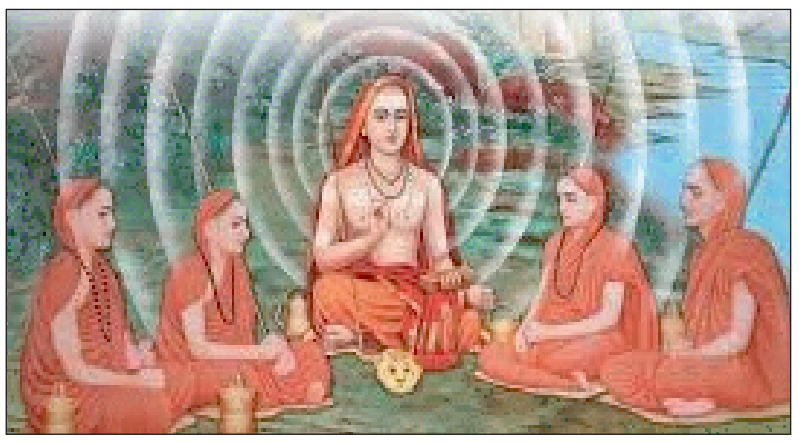

जब चित्त संसार की समस्त इच्छाओं से मुक्त होकर केवल एक ही इच्छा पर ठहरने लगता है, तब उस एकमात्र लक्ष्य के प्रति तृष्णा अत्यंत तीव्र हो जाती है।

यह ही वह अवस्था है जो जीवात्मा को जुनून और 'दिव्य पागलपन' की दहलीज तक ले जाती है।

1. आध्यात्मिक प्यास का तीव्र होना यदि वह एकमात्र बची हुई इच्छा ईश्वर प्राप्ति की है, तो इसे अपना 'अहोभाग्य' समझें। जब चित्त बार-बार केवल उसी एक केंद्र पर रुकने लगे, तो यही तृष्णा आपको 'जुनूनी' और 'वैरागी' बना देती है। यह अवस्था स्वतः ही आपको संसार के मोह - जाल से काट देती है।

2. सर्वस्व अर्पण की तैयारी इस मार्ग पर एक समय ऐसा आता है जब साधक स्वयं को मिटाने, नष्ट होने या खो देने के लिए भी तत्पर हो जाता है। यदि आपकी प्यास उस 'शाश्वत' के लिए है, तो विश्वास रखिए कि आपके भीतर वह झरना अवश्य फूटेगा जो जन्म-जन्मांतर की अतृप्ति को पूर्ण तृप्ति में बदल देगा।

3. अंतिम रूपांतरण और परम उपलब्धि यह एकमात्र अंतिम इच्छा आपको उस बिंदु तक ले जाएगी जहाँ मृत्यु के घटित होने का आभास होगा। अध्यात्म का सार यही है: जब तक एक भी इच्छा शेष है, तब तक परम तत्व की उपलब्धि संभव नहीं।

किंतु, यह अंतिम इच्छा (मुमुक्षुत्व) आपको इस कदर तपाकर कुंदन बना देती है कि आप उस 'परम तत्व' को धारण करने के योग्य हो जाते हैं।

अंततः, चित्त इस अंतिम इच्छा से भी मुक्त हो जाता है और उस निराकार, असीम तत्व में विलीन हो जाता है।

जब भक्त की पुकार पर, भगवान को भी रोना पड़ा

पिंकी कुंडू

यह प्रसंग महाभारत युद्ध के ठीक बाद का है। कुरुक्षेत्र का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। पांडवों की विजय हो चुकी थी और धर्म की स्थापना हो चुकी थी।

द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने सोचा, "मेरा कार्य अब यहाँ पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया, अब मुझे अपनी नगरी द्वारिका प्रस्थान करना चाहिए।"

प्रभु ने अपने रथ की ओर कदम बढ़ाए। वे रथ पर विराजमान हुए और घोड़ों की लगाम थामी ही थी कि तभी उनकी दृष्टि सामने पड़ी। वहां माता कुंती खड़ी थीं। भगवान की बुआ और पांडवों की माता।

श्री कृष्ण का यह नियम था—वे जब भी कुंती बुआ से मिलते, तो एक भतीजे की मर्यादा निभाते हुए पहले उन्हें प्रणाम करते और चरण स्पर्श करते। बुआ को देखते ही भगवान तुरंत रथ से नीचे उतरे और उनकी ओर लपके।

किंतु आज कुछ अद्भुत घटित हुआ!

इससे पहले कि कृष्ण झुकते, वृद्धा कुंती ने आगे बढ़कर त्रिभुवन के स्वामी श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश झुका दिया।

कृष्ण चौंक उठे! उनका हृदय भर आया। उन्होंने झट से कुंती के हाथ थाम लिए और कहा - ₹अरे! बुआ, यह आप क्या अनर्थ कर रही हैं? मैं आपका भतीजा हूँ, छोटा हूँ। नित्य तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आज आप मुझे लज्जित क्यों कर रही हैं?"

तभी कुंती ने अपनी सजल आँखों से कृष्ण की ओर देखा। उनका कंठ रुंधा हुआ था। उन्होंने कहा-

> "बस कृष्ण! बस... अब और छल नहीं। यह बुआ और भतीजे का नाटक अब बहुत हुआ केशव!"

> कुंती का स्वर कांप रहा था, पर उसमें एक दृढ़ता थी: ₹मैं तुझे आज से नहीं, तब से जानती हूँ जब तुम गोकुल की गलियों में, गोबर में सने नन्हे-नन्हे पैरों से 'थप-थप' चलते थे। मैंने सुना है कि तुम वृन्दावन में कैसे मटकियाँ फोड़ा करते थे। मैंने देखा है कि तुमने मेरे पुत्रों की रक्षा के लिए कैसे शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा तोड़कर सुदर्शन चक्र उठा लिया था।

हे गोविंद! तुमने मेरे बेटों के लिए घोड़ों की सेवा की, उनके पसीने पोंछे, उनके सारथी बने, जगदाधार होकर भी तुम सेवक बने रहे।₹

कुंती के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वे पुनः बोलीं: ₹मैं भी जानती हूँ और यह सकल संसार जानता है कि तुम साक्षात्परब्रह्म हो। अब तक तुम मेरे भतीजे बने रहे, मेरे पुत्रों के भाई बने रहे... पर अब, जब मैं जीवन की सांध्य बेला में हूँ, हे कान्हा! अब एक बार तुम 'भगवान' बन जाओ और मुझे अपना 'भक्त' बन जाने दो। आज बुआ नहीं, एक भक्त तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ी है।"

श्री कृष्ण, जो प्रेम के वशीभूत हैं, कुंती का यह भाव देखकर मंद-मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा - "ठीक है देवी! यदि आपकी यही इच्छा है, तो मैं भगवान और आप मेरी भक्त! मांगिये, आज आप मुझसे जो मांगेंगी, मैं आपको दूंगा। मेरे पास देने के लिए तीनों लोकों का ऐश्वर्य है।"

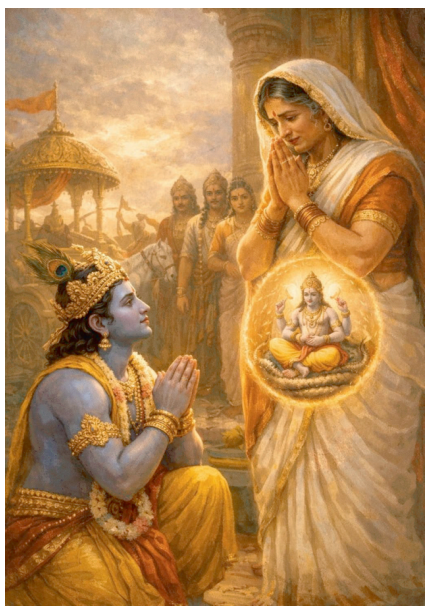

उस क्षण, कुंती ने जो वरदान माँगा, वह इतिहास में अमर हो गया। वह ऐसी मांग थी जो शायद ही कोई संसारी जीव भगवान से मांग सके।

कुंती ने हाथ जोड़कर कहा:

> "हे जगद्गुरु! यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हो, तो मुझे 'दुःख' दो। मुझे जीवन में इतनी विपत्तियाँ दो, इतने संकट दो कि एक पल के लिए भी मेरा मन तुमसे दूर न हो।"

>

भगवान भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा -"बुआ! यह आप क्या कह रही हैं? आपका तो सम्पूर्ण जीवन दुखों की प्रयोगशाला रहा है। विवाह के बाद पति का वियोग, फिर वनवास, फिर लाक्षागृह का षड्यंत्र, और फिर यह महाभीषण युद्ध! आपने जीवन भर केवल दुःख ही तो देखा है। अब जब सुख का समय आया, जब आपके पुत्र राजा बने, तब आप मुझसे फिर दुःख मांग रही हैं?"

तब कुंती ने जो उत्तर दिया, वह भक्ति का सर्वोच्च शिखर है:

> "हाँ केशव! मुझे दुःख ही चाहिए। क्योंकि जब-जब मेरे जीवन में सुख आया, मैं संसार में उलझ गई। किन्तु जब-जब मुझ पर विपत्ति पड़ी, तब-तब केवल तुम याद आए।

> सुख में तो शायद मैं तुम्हें भूल जाऊं, पर दुःख में तुम हर क्षण मेरे साथ रहते हो। मुझे वह सुख नहीं चाहिए जो मुझे तुमसे दूर कर दे। मुझे वह दुःख प्रिय है जो मुझे हर पल तुम्हारी स्मृति में रखे।"

सच ही कहा गया है-

दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करै न कोय।
जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय॥

और संतों ने कुंती के इस भाव को एक पंक्ति में पिरो दिया:

"ऐसे सुख पे शिला पड़े जो हरि का नाम भुलाए"

भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा को कोटि-कोटि नमन!

!! हनुमान जी की कथा !!

विश्वामित्रजी को क्रोध आ गया और दौड़कर भगवान के पास पहुँच गये कि राघव तुम्हारे राज्य में इतना बड़ा अन्याय, गुरूओं और संतो का इतना बड़ा अपमान? भगवान बोले गुरूदेव क्या हुआ? बोले, उस राजा ने मुझे प्रणाम नही किया उसको दण्ड मिलना चाहिये, भगवान्ने कहा ऐसी बात है तो कल मृत्युदंड घोषित किया जाता है।

पिंकी कुंडू

एक समय सुपंथ नाम का धर्मात्मा राजा था, एक बार अयोध्या में संत सम्मेलन होने जा रहा था तो संत सम्मेलन में संतो के दर्शन करने सुपंथ भी जा रहे थे, रास्ते में नारदजी मिल गये, प्रणाम किया, बोले कहाँ जा रहे हो? कहा संत सम्मेलन में संतो के दर्शन करने जा रहा हूँ, नारदजी बोले जाकर सभी संतो को प्रणाम करना लेकिन वहाँ ब्रह्मऋषि विश्वामित्र होंगे उनको प्रणाम न करना।

हनुमानजी की महिमा और भगवान्के नाम का प्रभाव भी शायद नारदजी प्रकट करना चाहते होंगे, सुपंथ बोले जैसी आपकी आज्ञा, सुपंथ गयें, सभी को प्रणाम किया लेकिन विश्वामित्रजी को नही किया तो क्षत्रिय का यह अहंकारी स्वभाव होता है, विश्वामित्रजी बोले इसकी यह हिम्मत, भरी सभा में मुझे प्रणाम नहीं किया, वैसे भूल हो जाये तो कोई बात नही, जान - बूझकर न किया जाये तो अच्छा नही।

विश्वामित्रजी को क्रोध आ गया और दौड़कर भगवान्के पास पहुँच गये कि राघव तुम्हारे राज्य में इतना बड़ा अन्याय, गुरूओं और संतो का इतना बड़ा अपमान? भगवान बोले गुरूदेव क्या हुआ? बोले, उस राजा ने मुझे प्रणाम नही किया उसको दण्ड मिलना चाहिये, भगवान्ने कहा ऐसी बात है तो कल मृत्युदंड घोषित किया जाता है।

जब सुपंथ को पता लगा कि मृत्युदण्ड घोषित हो गया है और वह भी रामजी ने प्रतिज्ञा की है कि मैं गुरूदेव के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, कि कल सूर्यास्त तक उसके प्राणों का अंत हो जायेगा, इधर लक्ष्मणजी ने बड़े रोष में प्रभु को देखा और पूछा प्रभु क्या बात है? भगवान बोले आज एक अपराध हो रहा है, कैसे? बोले कैवल्य देश के राजा सुपंथ ने गुरूदेव का अपमान किया है और मैंने प्रतिज्ञा की है कि कल उनका वध करूंगा, लक्ष्मणजी शांत रह गए।

इधर नारद जी ने राजा को बताया कि कल तुम्हारी म्रत्यु है। नारदजी ने कहा एक रास्ता मैं तुमको बता सकता हूँ, भगवान्के बीच में तो मैं नही आऊँगा, क्या रास्ता है? बोले तुम अंजनी माँ के पास जाकर रोओ। केवल अंजना माँ हनुमानजी के द्वारा तुम्हारी रक्षा करा सकती है, इतना बड़ा संकट है और दूसरा कोई बचा नही पायेगा, सुपंथ माता अंजनीजी के घर पहुँचे और अंजनी माँ के घर पछाड़ खाकर हा-हा करके रोयें, माँ तो माँ हैं, बोली क्या बात है? बेटे क्यों रो रहे हो? माँ रक्षा करो, माँ रक्षा करों, किससे रक्षा करनी है? बोले मैरी रक्षा करो, माँ बोली मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुझे कोई नही मार सकता, मैं तेरी रक्षा करूँगी, बता तो सही।

सुपंथ ने पूरी घटना बताई लेकिन माँ तो प्रतिज्ञा कर चुकी थी, बोली अच्छा कोई बात नही तुम अन्दर विश्राम करो, हनुमानजी आयें, माँ को प्रणाम किया, माँ को थोड़ा चिन्तातुर देखा तो पूछा माँ क्या बात है? माँ ने कहा मैं एक प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ शरणागत की रक्षा की, और तुमको उसकी रक्षा करनी है, हनुमानजी ने कहा माँ कैसी बात करती हो? आपका आदेश हो गया तो रक्षा उसकी अपने आप हो जायेगी।

माता बोली पहले प्रतिज्ञा करो, बोले मैं भगवान श्रीरामजी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, कि जो आपकी शरण में आया है उसकी रक्षा होगी, माँ ने उस राजा को बुला लिया, बोली यह हैं, पूछा कौन मारने वाला है? बोले भगवान्रामजी ने प्रतिज्ञा की है, हनुमानजी ने कहा तुमने मुझे ही संकट में फँसा दिया, दुनिया तो गाती थी संकट से हनुमान छुड़ायें, आज तूने हनुमान को ही संकट में डाल दिया।

खैर, मैं माँ से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, देखो जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना घबराना नहीं, उधर भगवान्ने धनुष-बाण उठाये और चले मारने के लिये, हनुमानजी दूसरे रास्ते से जाने लगे तो भगवान्ने हनुमानजी से बोले कहाँ जा रहे हो, तो हनुमानजी ने कहा प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, बोले मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूँ, हनुमानजी ने कहा मैं भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूँ।

भगवान्ने अपनी प्रतिज्ञा बतायीं, हनुमानजी ने भी कहा कि मैं उसी की रक्षा करने के लिये जा रहा हूँ, भगवान्ने कहा मैंने अपने गुरूदेव के चरणों की सौगंध खाई है कि मैं उसका वध करूँगा, हनुमानजी ने कहा मैंने अपने भगवान के चरणों की सौगंध खाई है कि मैं उसकी रक्षा करूँगा।

यह लीला लक्ष्मणजी देख रहे है और मुस्कुरा रहे है, यह क्या लीला हो रही हैं? जैसे ही भगवान का आगमन देखा तो सुपंथ रोने लगा, हनुमानजी ने कहा रोइये मत, मेरे पीछे खड़े हो जाओ, संकट के समय हनुमानजी आते हैं, भगवान्ने अभिमंत्रित बाण छोड़ा, हनुमानजी दोनों हाथ उठाकर ₹श्री राम जय राम जय जय राम₹ हनुमानजी भगवान्के नाम का कीर्तन करें और बाण विफल होकर वापस लौट जायें।

सारे बाण निष्फल हो गयें।। क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम।। भगवान्ने ब्रह्मास्त्र निकाला, जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा सीधा हनुमानजी की छाती में लगा लेकिन परिणाम क्या हुआ? प्रभु मूर्छित होकर गिर पड़े, बाण लगा हनुमानजी को और मूर्छित हुये भगवान्, अब तो बड़ी घबराहट हो गयीं, हनुमानजी दौड़े, मेरे प्रभु मूर्छित हो गये, क्यों मूर्छित हो गये? क्योंकि ₹जासु हृदय अगार बसहिं राम सर चाप धर₹ हनुमानजी के हृदय में भगवान्बैठे है तो बाण तो भगवान्को ही तो लगेगा।

बाकी सब घबरा गयें, यह क्या हो गया? हनुमानजी ने चरणों में प्रणाम किया और सुपंथ को बिल्कुल अपनी गोद में ले आये हनुमानजी ने उसको भगवान्के चरणों में बिठा दिया, प्रभु तो मूर्छित हैं, हनुमानजी बहुत रो-रोकर कीर्तन कर रहे थे कि प्रभु की मूर्छा दूर हो जायें, भगवान्की मूर्छा धीरे-धीरे दूर होती चली गयी और प्यार में, स्नेह में चूँकि भगवान्को अनुभव हो गया था कि बाण मेरे हनुमान के हृदय में लगा तो उसे चोट लगी होगी, इसलिये भगवान्इस पीड़ा के कारण मूर्छित हो गये।

जब हनुमानजी कीर्तन करने लगे तो रामजी हनुमानजी के सिर पर हाथ फिराने लगे, धीरे से हनुमानजी पीछे सरक गये और भगवान्का हाथ सुपंथ के सिर पर दे दिया, दोनो हाथों से भगवान् हनुमानजी का सिर समझकर सुपंथ का सिर सहलाने लगे, प्रभु ने जैसे नेत्र खोले तो देखा सुपंथ भगवान्के चरणों में था, मुस्करा दियें भगवान्और बोले हनुमान तुम जिसको बचाना चाहोगे उसको कौन मार सकता है?

हनुमानजी तो अजर-अमर हैं, चारों युगों में हैं सम्पूर्ण संकट जहाँ छूट जाते हैं शोक, मोह, भय वह है भगवान्के नाम का स्मरण, रामजी के साथ में हनुमानजी रहते हैं, अगर संकट से न छूटे तो हनुमानजी छुड़ा देंगे।

।।संकट से हनुमान छुडबै। मन क्रम बचन ध्यान जो लाबै।।

जब अधर्म अपनी सीमा भूल जाता है --- तब कौन प्रकट होता है ?

पिंकी कुंडू

पुराणों में कहा गया है जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगे, तब शक्ति स्वयं रूप धारण करती है। उसी क्षण माँ काली का प्राकट्य होता है। सिंह पर आरूढ़, निर्भय और अडिग — यह केवल युद्ध का दृश्य नहीं, धर्म की जाग्रत चेतना है। सिंह उनका वाहन नहीं, बल्कि वह वेग है जो न्याय को रोकने वाली हर दीवार को तोड़ देता है।

अग्नि, विद्युत और धुएँ के बीच से उभरती उनकी श्यामल देह अंधकार नहीं, बल्कि सत्य का तीव्र प्रकाश है। उनके अनेक हाथों में धारण शस्त्र केवल बाहरी दानवों के लिए नहीं हैं — वे अहंकार, अज्ञान और भीतर पल रहे तमस को काटने के प्रतीक हैं। शास्त्र कहते हैं, जो भीतर जीता गया युद्ध है, वही बाहर की विजय का आधार बनता है।

पीछे खड़ा असुर केवल एक पात्र नहीं, वह वह उच्छृंखल अराजकता है जो मर्यादा से बाहर निकल चुकी है। माँ काली की दृष्टि मात्र से ही उसका बल क्षीण हो जाता है। यह संकेत है जहाँ दैवी सत्ता प्रकट होती है, वहाँ अंधकार का टिकना संभव नहीं।

यह युद्धभूमि केवल धरती की नहीं, हमारे अंतर्मन की भी है। यही शाश्वत सत्य है —जब अराजकता हद पार करती है, तब जगतजननी स्वयं प्रकट होकर अधर्म का अंत करती हैं और ऋत, धर्म व संतुलन को पुनः स्थापित करती हैं।

माँ काली भय की नहीं, सत्य की अंतिम घोषणा हैं।

जब तीनों लोकों के स्वामी को एक 'घड़े' के नीचे छुपना पड़ा! (एक अद्भुत कथा जो आपकी आँखों में आँसू ला देगी)

पिंकी कुंडू

यह कथा उस समय की है जब ब्रज में नटखट गोपाल की बाल - लीलाएं चरम पर थीं। कान्हा की शरारतों से पूरा गोकुल गूंजता था। कभी किसी की मटकी फोड़ना, तो कभी माखन चुराना! गोपियों के उलाहनों से तंग आकर, एक दिन मैया यशोदा का धैर्य जवाब दे गया।

क्रोध में आकर मैया ने छड़ी उठाई और कान्हा के पीछे दौड़ पड़ीं।

"आज नहीं छोड़ूंगी तुझे, बहुत नटखट हो गया है तू!"

मैया का रौद्र रूप देखकर बाल - कृष्ण अपने नन्हे - नन्हे कदमों से सरपट भागे। भागते - भागते वे एक कुम्हार (प्रजापति) के घर में जा घुसे।

उस समय कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने में मग्न था। अचानक उसने देखा कि साक्षात त्रिभुवन के स्वामी भयभीत होकर उसके सामने खड़े हैं। सांसें फूल रही थीं, और कान्हा बोले — "कुम्हार काका! कुम्हार काका! मेरी मैया छड़ी लेकर आ रही है, मुझे कहीं छिपा लो प्लीज!"

कुम्हार तो प्रभु को पहचान गया था। वह मन ही मन गदगद हो गया कि आज स्वयं भगवान उसकी शरण में आए हैं उसने आव देखा न ताव, तुरंत कान्हा को एक बड़े से मिट्टी के घड़े के नीचे छिपा दिया।

कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा वहां आ पहुंचीं। उन्होंने पूछा — "क्यों रे! तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? अभी इधर ही आया था।"

कुम्हार का हृदय धक - धक कर रहा था, पर प्रभु की लीला में साथ देते हुए उसने झूठ बोल दिया — "नहीं मैया! मैंने तो कन्हैया को यहाँ नहीं देखा।"

मैया आश्वस्त होकर वहां से चली गईं। घड़े के नीचे बैठे कान्हा यह सब सुन रहे थे। मैया के जाते ही उन्होंने धीरे से कहा — "काका! यदि मैया चली गई हो, तो मुझे बाहर निकालो।"

अब शुरू हुई भक्त और भगवान की असली लीला!

कुम्हार मुस्कराया और बोला — "ना सरकार! इतनी आसानी से नहीं।

पहले मुझे एक वचन दीजिये।"

कृष्ण ने पूछा — "कैसा वचन?"

कुम्हार बोला — "वचन दीजिये कि आप मुझे चौरासी लाख योनियों (जन्म-मृत्यु) के बंधन से मुक्त कर देंगे, तभी घड़ा उठाऊंगा।"

ठाकुर जी मुस्कराए। एक भक्त भगवान को 'ब्लैकमेल' कर रहा था!

कृष्ण बोले — "ठीक है, मैं वचन देता हूँ। अब निकालो।"

कुम्हार अड़ गया — "सिर्फ मुझे नहीं प्रभु, मेरे पूरे परिवार को भी मोक्ष का वचन दीजिये।"

कृष्ण ने हँसते हुए कहा — "तथास्तु! उन्हें भी मुक्ति मिली। अब तो निकालो, मेरा दम घुट रहा है।"

कुम्हार फिर बोला — "रुकिए केशव! एक विनती और है। जिस मिट्टी से यह घड़ा बना है, उसे मेरे बैलों ने बड़ी मेहनत से ढोया है। मेरे उन मूक पशुओं को भी चौरासी के फेर से मुक्त कीजिये।"

कुम्हार का यह 'प्राणी - प्रेम' देखकर करुणानिधान पिघल गए। उन्होंने बैलों को भी मोक्ष का वरदान दे दिया।

कृष्ण बोले — "अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गईं, अब तो दया करो काका!"

तब कुम्हार की आँखों में आँसू आ गए। वह बोला — "हे दीनानाथ! बस एक अंतिम इच्छा और है। जो भी प्राणी इस दोनों के बीच के इस संवाद (कथा) को सुनेगा या पढ़ेगा, प्रभु, आपको उसे भी जन्म - मृत्यु के चक्र से मुक्त करना होगा।"

कुम्हार की यह निस्वार्थ भावना देखकर, कि उसने केवल अपने लिए नहीं बल्कि संसार के हर प्राणी के लिए मुक्ति मांग ली, बाल - कृष्ण का हृदय भर आया।

प्रसन्न होकर प्रभु बोले — "तथास्तु! जो इस कथा को प्रेम से सुनेगा, उसे भी मेरी भक्ति और मुक्ति प्राप्त होगी।"

तब जाकर कुम्हार ने घड़ा उठाया। सामने साक्षात परब्रह्म खड़े थे। कुम्हार उनके चरणों में गिर पड़ा। आंसुओं से प्रभु के चरण पखारे और उस चरणामृत का पूरे घर में छिड़काव किया।

अंत में, वह प्रभु के गले लगकर इतना रोया कि प्रेम के उस सागर में ही विलीन हो गया।

जल संचय -जन भागीदारी 2.0 के लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा करें विभाग: डीसी

- डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने अधिकारियों की बैठक में की जल संचय -जन भागीदारी कार्यक्रम की समीक्षा

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 29 जनवरी। डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने जल शक्ति अभियान तथा जल संचय जनभागीदारी 2.0 अभियान की प्रगति को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा करें। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत है और इसे जन-आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस बीच अभियान के नोडल अधिकारी ने विस्तार से जानकारी दी।

डीसी ने अधिकारियों से कहा कि जिले में वर्षा जल संचयन, तालाबों के पुनर्जीवन, चेक डैम, सोक पिट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तथा अन्य जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत की जाए।

बैठक में डीसी ने जनभागीदारी पर विशेष बल देते हुए कहा कि आमजन, स्वयं सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों व सामाजिक संगठनों को अभियान से जोड़ा जाए, ताकि जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़े और स्थायी परिणाम सामने

आएं। उन्होंने कहा कि जल बचत के लिए व्यवहार में बदलाव लाना भी उतना ही जरूरी है, जितना संरचनात्मक कार्य।

डीसी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि प्रचार-प्रसार गतिविधियों को और प्रभावी बनाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग जल संचय के महत्व को समझें और अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी अपने-अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें।

बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अभियान के तहत अब तक किए गए कार्यों की जानकारी दी तथा आगामी कार्य योजना पर भी चर्चा की। डीसी ने आशा जताई कि सामूहिक प्रयासों से जिले में जल संरक्षण के क्षेत्र में सकारात्मक व स्थायी बदलाव देखने को मिलेगा।

इस अवसर पर सीईओ जिला परिषद मनीष कुमार फोगाट, डीडीपीओ निशा तंवर, डीईओ रतिंद्र सिंह, जनस्वास्थ्य विभाग के एक्सईएन अश्वनी सांगवान, कृषि विभाग से तकनीकी अधिकारी डॉ रोहित वत्स सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा का झज्जर दौरा आज

झज्जर, 29 जनवरी। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा शुक्रवार 30 जनवरी को झज्जर दौरे पर रहेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीटीएम नमिता कुमारी ने बताया कि सर्वप्रथम कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा प्रातः दस बजे लघु सचिवालय स्थित संवाद भवन में आयोजित होने वाली जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके उपरांत दोपहर दो बजे बागवानी विभाग की ओर से गांव डावला में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे।

अवैध प्लास्टिक कचरे के डंपिंग के खिलाफ धारा 163 के तहत आदेश जारी

- जिले में अवैध प्लास्टिक कचरे की डंपिंग लोडिंग के खिलाफ होगी कार्रवाई

झज्जर, 29 जनवरी। जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने अनाधिकृत स्थानों पर पीवीसी मार्केट और प्लास्टिक कचरे के डंपिंग/लोडिंग के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं। जिलाधीश की ओर से जारी आदेशानुसार बहादुरगढ़ क्षेत्र में प्लास्टिक कचरे को अनधिकृत स्थलों पर फेंकने से गंभीर स्वास्थ्य खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। इससे वायु व जल प्रदूषण बढ़ रहा है, जो आमजन की जीवन-गुणवत्ता व शांति के लिए गंभीर चुनौती है और सार्वजनिक हित में इसके विरुद्ध रोकथाम आवश्यक है। इस स्थिति के मद्देनजर जिलाधीश ने जिला झज्जर की सीमा में किसी भी स्थान पर अवैध रूप से प्लास्टिक कचरे के डंपिंग/लोडिंग प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और आगामी 30 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना : गरीब परिवारों के पक्के मकान का सपना होगा साकार

29 जनवरी से शुरू हुई बुकिंग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा सीधा लाभ : डीसी

झज्जर, 29 जनवरी। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट बुकिंग प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने बताया कि जिन आवेदकों ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट के लिए पंजीकरण करवाया था, तथा भौतिक सत्यापन प्रक्रिया में पात्र पाए गए हैं। यह योजना शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन्हें किफायती दरों पर सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है।

डीसी ने कहा कि यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। योजना को हरियाणा के सभी शहरी स्थानीय निकायों में लागू किया गया है, जिससे अधिक से अधिक पात्र परिवार लाभान्वित हो सकें।

डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने कहा कि शहरी क्षेत्र गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, पानीपत तथा रोहतक में आवास उपलब्ध हैं जिनकी बुकिंग राशि 10 हजार रुपए तय की गई है। उन्होंने बताया कि शहरी आवास योजना के आवेदकों में पात्र पाए गए नागरिकों की सूची तथा उपलब्ध फ्लैटो की सूची हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की वेबसाइट http:hfa.hayrana.gov.in पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि पात्र उम्मीदवार समय रहते हरियाणा सरकार के अधिकृत पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी और सरल रखी गई है, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो। अधिक जानकारी के लिए हाउसिंग फार आल विभाग हरियाणा के दूरभाष नंबर 0172-2585852 पर संपर्क किया जा सकता है।

बेरी निगम कार्यालय में आज लगेगी बिजली अदालत : एसडीओ

बेरी (झज्जर), 29 जनवरी। बिजली निगम डिवीजन बेरी के उपभोक्ताओं की बिजली से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए आज (30 जनवरी, शुक्रवार) को बिजली अदालत और उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक की आयोजित की जाएगी। यह जानकारी एसडीओ सुनील कुमार ने गुरुवार को यहां दी। उन्होंने बताया कि बैठक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएनएल) के बेरी कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगी। एसडीओ ने बताया कि बैठक में बिजली उपभोक्ताओं की बिजली बिल, कनेक्शन, लोड संबंधित समस्याओं को सुना जाएगा और उनका मौके पर ही समाधान किया जाएगा।

डीसी ने किया लघु सचिवालय परिसर अटल श्रमिक कैंटीन का शुभारंभ

अटल श्रमिक कैंटीन में मिलेगा दस रुपये में भरपेट खाना

स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी संचालित, जिला में खुली पांचवी अटल श्रमिक कैंटीन

झज्जर, 29 जनवरी। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने गुरुवार को लघु सचिवालय परिसर में श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित पांचवी अटल श्रमिक कैंटीन का रिबन काटकर शुभारंभ किया। श्रम विभाग द्वारा जिला में स्वयं सहायता के सहयोग से श्रमिकों के लिए चार कैंटीन दो बहादुरगढ़ और दो कैंटीन रिलायंस एमईटी क्षेत्र में संचालित की जा रही हैं।

डीसी ने कहा कि सरकार की नीति है कि श्रमिकों को रियायती दरों पर स्वच्छ व पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। मंडी परिसर में अटल किसान कैंटीन और औद्योगिक क्षेत्र व श्रमिक रहते हैं ऐसे स्थानों पर अटल श्रमिक कैंटीन खोली जा रही हैं। ये कैंटीन ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा संचालित की जा रही हैं। एसएचजी की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिससे उनकी आजीविका सुदृढ़ होगी और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर प्राप्त होगा। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा रियायती दरों पर खाना मुहैया कराने के उद्देश्य से इस कैंटीन की शुरुआत की गई है, जिसके चलते कैंटीन में मात्र दस रुपए में गुणवत्तायुक्त खाना मुहैया करवाया जाएगा। बाकि लागत मूल्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

डीसी ने ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं को कैंटीन के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रोत्साहित किया। एसएचजी के पीओ ने बताया कि कैंटीन में श्रमिकों को मात्र 10 रुपये प्रति थाली के हिसाब से पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। कैंटीन सुबह 11:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित रहेगी। डिजिटल पेमेंट (बार कोड को स्कैन करके) भी स्वीकार की जाएगी। पौष्टिक व स्वच्छ खाने में रोटी, चावल, दाल और एक मौसमी सब्जी दी जाएगी।

कैंटीन के शुभारंभ अवसर पर एडीसी जगनिवास, एसडीएम झज्जर अंकित कुमार चौकसे आईएएस, सीईओ जिला परिषद मनीष फोगाट, डीआरओ मनबीर सागवान, सीएमजीजीए खुशी कौशल, डीआईपीआरओ सतीश कुमार, डीडीपीओ निशा तंवर, प्रोजेक्ट आफिसर डा विनोद कुमार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान करें अधिकारी : डीसी

- डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जिला स्तरीय समाधान शिविर में सुनी जनसमस्याएं

झज्जर। 29 जनवरी। हरियाणा सरकार की पहल पर जिला प्रशासन की ओर से गुरुवार को आयोजित जिला स्तरीय समाधान शिविर में डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने आमजन की समस्याएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। समाधान शिविर में आधा दर्जन शिकायतें पंजीकृत हुई।

डीसी ने कहा कि जिला मुख्यालय पर लगाए जा रहे समाधान शिविर आमजन की शिकायतों का समाधान करवाने में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। समाधान शिविर में नागरिकों को एक ही स्थान पर अपनी शिकायतों व समस्याओं का समाधान करवाने का अवसर मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आमजन की शिकायतों को नजरअंदाज करना किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारी आमजन की शिकायतों के निवारण की दिशा में तत्परता से कार्रवाई कर उन्हें राहत पहुंचाएं।

जिला स्तरीय समाधान शिविर के अलावा बहादुरगढ़ में एसडीएम अभिनव सिवाच आईएएस, बेरी में एसडीएम रेणुका नांदल तथा बादली में एसडीएम डॉ रमन गुप्ता की अध्यक्षता में उपमंडल स्तरीय समाधान शिविरों का आयोजन किया गया। समाधान शिविर में एडीसी जगनिवास, एसडीएम झज्जर अंकित कुमार चौकसे आईएएस, एसीपी प्रणय कुमार, सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन राजेश कुमार व जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य सुनील जांगड़ा सहित अन्य सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

योगा ब्रेक हर अधिकारी व कर्मचारी के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी : एडीसी

झज्जर लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयुष विभाग के तत्वावधान में आयोजित वाई सुर्य नमस्कार (योगा ब्रेक) कार्यक्रम आयोजित

झज्जर,29 जनवरी। स्थानीय लघु सचिवालय में स्थित सभागार में शुक्रवार को हरियाणा योग आयोग, आयुष विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल के मार्गदर्शन अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगा ब्रेक के दौरान आयुष विभाग के योग सहायक प्रवीन कुमार व योग सहायिका दयावंती के नेतृत्व मे सूर्य नमस्कार की क्रियाएं करते हुए योगाभ्यास किया। इस अवसर पर एडीसी जगनिवास ने उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को नियमित रूप से इस अभ्यास को करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार संपूर्ण शरीर के लिए एक उत्तम शारीरिक व मानसिक व्यायाम है जो सांसों की लय के अनुसार शरीर के आकुंचन और प्रसारण को करने से शरीर में रक्त संचालन तथा शरीर की मांसपेशियों में लचीलापन पैदा कर उनके कार्य में सुधार करता है। उन्होंने कहा कि योगा ब्रेक से अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा पांच मिनट योगा करके तनाव रहित रहा जा सकता है।

यह पहल केंद्र सरकार द्वारा तैयार वाई-ब्रेक योग प्रोटोकॉल पर आधारित है, जिसका उद्देश्य व्यस्त कार्यस्थलों पर भी योग को सरल और व्यवहारिक रूप से अपनाने को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि कार्यकुशलता, सकारात्मकता और टीम भावना को भी मजबूत करता है।

उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, एकाग्रता बढ़ाने और काम के दौरान तनाव व थकान को कम करने में मदद मिलती है। है।

झज्जर में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए बिजली अदालत आज शुक्रवार (30 जनवरी) को

-झज्जर में होगी बिजली अदालत की बैठक

झज्जर, 29 जनवरी। उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) द्वारा अधीक्षण अभियंता कार्यालय में आज 30 जनवरी शुक्रवार को उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक का आयोजन किया जाएगा। उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक किया जाएगा।

यह अदालत फोरम के चेयरमैन एवं बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता ऑपरेशन सर्कल झज्जर की अध्यक्षता में होगी। प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजली उपभोक्ताओं की (बिजली चोरी संबंधी शिकायतों को छोड़कर) अन्य शिकायतों को झज्जर कार्यालय में सुना जाएगा। इस दौरान बिजली बिल, कनेक्शन और अन्य तकनीकी समस्याओं से जुड़े परिवादों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि निगम क्षेत्र झज्जर ग्रामीण व शहरी, माछारौली, बादली के उपभोक्ताओं की समस्याओं का निवारण किया जाएगा। यदि कोई उपभोक्ता कार्यकारी अभियंता या एसडीओ की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है, तो वह चेयरमैन और अधीक्षण अभियंता के समक्ष अपनी बात रख सकता है।

केवल लाईसेंसशुदा कॉलोनियों में ही प्लाट खरीद करें नागरिक : डीसी

गांव दादरी तोए में अवैध कॉलोनी काटने के मामले में जिला प्रशासन की कार्रवाई

बिना लाइसेंस अवैध कॉलोनी की जमीन की खरीद व बिक्री पर रोक

झज्जर, 28 जनवरी। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि गांव दादरी तोए में बगैर लाइसेंस व तय प्रक्रिया पूरी किए अवैध कॉलोनी काटे जाने के मामले में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि गांव दादरी तोए के खसरा नंबर 36//11,19,20 में सडक़ बनाकर और नक्शा दिखाकर उक्त खसरा नंबरों से जुड़े किसी भी प्रकार के सेल-डीड, एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी या फुल पेमेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड/एग्जीक्यूट करने पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है। डीटीपी कार्यालय के अनुसार उक्त मामले में न तो विभाग से कोई लाइसेंस, सीएलयू और न ही एनओसी प्राप्त की गई है।

डीटीपी कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता को उक्त अवैध कॉलोनी में किसी भी प्रकार का बिजली कनेक्शन जारी न करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, हरियाणा स्टेट एन्फोर्समेंट ब्यूरो के थाना प्रभारी को उक्त साइट पर सख्त निगरानी रखने और किसी भी प्रकार के निर्माण या सडक़ नेटवर्क विकसित न होने देने को कहा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आमजन से अपील की है कि वे केवल सरकार द्वारा वैध एवं स्वीकृत कॉलोनियों में ही अपना मकान बनाने के लिए प्लाट खरीद सकते हैं। डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन अवैध कॉलोनियों को गिराने के लिए निरंतर अभियान चला रहा है।

CRPF गुरुग्राम ग्रुप सेंटर में 50 वीर जवानों का किया सम्मान

कला भारती व हील्स फाउंडेशन ने शहीद परिवारों और मेधावी बच्चों को भी किया सम्मानित

नई दिल्ली। 29 जनवरी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के गुरुग्राम स्थित ग्रुप सेंटर में साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था कला भारती और हील्स फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में एक गरिमामय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश की सुरक्षा में समर्पित 50 वीर जांबाज़ जवानों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कुछ शहीद जवानों के परिजनों एवं मेधावी बच्चों को भी विशेष सम्मान प्रदान किया गया।

समारोह में CRPF के उप महानिरीक्षक (DIG) श्री परम शिवम मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ कई वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे, जिससे कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ गई।

इस अवसर पर हील्स की संस्थापिका एवं कला भारती की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती ममता सोनी अपने संबोधन में कहा कि "सेना और अर्धसैनिक बलों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारी

नैतिक ज़िम्मेदारी है। हमें शहीदी दिवस को केवल शोक का दिन न बनाकर 'कृतज्ञता दिवस' के रूप में मनाना चाहिए तथा समाज और संस्थाओं को शहीद परिवारों एवं जवानों की समस्याओं के समाधान हेतु हरसंभव प्रयास करने चाहिए। वहीं CRPF के उप महानिरीक्षक श्री परम शिवम ने अपने वक्तव्य में कहा यह कार्यक्रम केवल सम्मान समारोह नहीं, बल्कि एक समीक्षा समारोह' है—जो हमें यह सोचने पर विवश करता है कि हम अपने जवानों के लिए क्या कर रहे हैं। अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी इससे प्रेरणा लेकर आगे आना चाहिए। समारोह में देश भक्ति, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से ओतप्रोत रहा और उपस्थित सभी लोगों के मन में सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना और अधिक प्रबल हुई।

कार्यक्रम को सफल बनाने में हील्स की संस्थापिका एवं कला भारती की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती ममता सोनी, बोर्ड मेंबर डॉ. माधवी सिंह, उपाध्यक्ष श्रीमती कनुप्रिया एवं वरिष्ठ साहित्यकार ,लेखिका एवं मोटिवेशनल काउंसलर डॉ. गीतांजलि नीरज अरोड़ा, श्रीमती रायना जुनेजा, श्रीमती मानवी भारती की सक्रिय सहभागिता रही। इसके अलावा साहित्य और कला जगत से जुड़ी विशिष्ट शख्सियत ग़ज़लकार फ़ौज़िया अफ़ज़ाल, वरिष्ठ कवयित्री रजनीश गोयल, उर्दू शायर वक़ा आज़मी, युवा कवयित्री रक्षा सिरोहा, कला भारती एम्बेसडर प्रीति बग्गा तथा लाफ्टर क्लब से श्रीमती इंदु आहूजा उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन युवा कवि हिमांशु शुक्ला ने किया।

नई पेंशन जल्द से जल्द बनाए दिल्ली की भाजपा सरकार: भास्कर

नई दिल्ली। जहांगीर पुरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आई एवं जे ब्लॉक जहांगीर पुरी के अध्यक्ष एम. एल. भास्कर ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार को बने लगभग एक वर्ष हो चुका है, लेकिन अब तक वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन एवं विधवा पेंशन जैसी जनकल्याणकारी योजनाएँ पूरी तरह लागू नहीं की जा सकी हैं।

इस लापरवाही के कारण दिल्ली की गरीब, बुजुर्ग और जरूरतमंद जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जनता में गहरा रोष व्याप्त है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एम. एल. भास्कर ने इस संबंध में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि दिल्ली की समस्त पात्र जनता को उनकी पेंशन, जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, अविलंब लागू की जाए।

उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही पेंशन योजनाएँ लागू नहीं की गईं, तो जहांगीर पुरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आई एवं जे ब्लॉक जहांगीर पुरी के अध्यक्ष एम. एल. भास्कर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास पर रोष प्रदर्शन किया जाएगा।

पहाड़गंज इलाके में रात होटल 'पल्लवी पैलेस' में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया....

*रिपोर्ट नवदीप सिंह

पहाड़गंज इलाके में रात एक होटल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। जब होटल 'पल्लवी पैलेस' आग की लपटों और धुएं के गुबार से घिरा था और लोग अपनी जान बचाने के लिए चीख रहे थे, तब नबी करीम थाने के पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए 'देवदूत' बनकर 8 लोगों की जान बचाई। पुलिस की इस बहादुरी और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया।

मध्य जिला के डीसीपी अनंत मित्तल ने बताया कि 28-29 जनवरी की रात करीब 3:00 बजे होटल पल्लवी पैलेस में आग लगने की सूचना मिली। पुलिस टीम पीसीआर कॉल मिलने से पहले ही मौके पर पहुंच चुकी थी। होटल की चार मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित रिसेप्शन से शुरू हुई आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया था। होटल के 18 कमरों में ठहरे मेहमान धुएं के कारण अंदर ही फंस गए थे।

पड़ोसी होटल की छत से चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

आग इतनी भीषण थी कि मुख्य दरवाजा पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। स्थिति को भांपते हुए कांस्टेबल फेरू, संजय और मुकुल ने अदम्य साहस का परिचय दिया। पुलिस टीम बगल के 'होटल चंचल' की चौथी मंजिल पर पहुंची और छतों के रास्ते होटल पल्लवी पैलेस की छत पर दाखिल हुई।

ग्रिल तोड़कर बचाई बालकनी में फंसे लोगों की जान दम घोंटने वाले धुएं के बीच तीन यात्री बालकनी में फंसे हुए थे और जान बचाने के लिए कूदने की कोशिश कर रहे थे। दोनों होटलों की बालकनी के बीच लोहे की ग्रिल और कांच की दीवार थी। पुलिस टीम ने भारी मशक्कत के बाद ग्रिल और कांच को तोड़ा और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद टीम ने कमरे नंबर 203 का दरवाजा तोड़कर वहां सो रहे दो अन्य यात्रियों को भी सुरक्षित रेस्क्यू किया।

8 लोगों का रेस्क्यू, घायलों को पहुंचाया अस्पताल

इस साहसी ऑपरेशन में पुलिस ने कुल 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इनमें से 5 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 3 लोग झुलस गए थे जिन्हें तुरंत एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में से एक व्यक्ति करीब 60 प्रतिशत तक झुलस गया है। दमकल की 11 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है*।

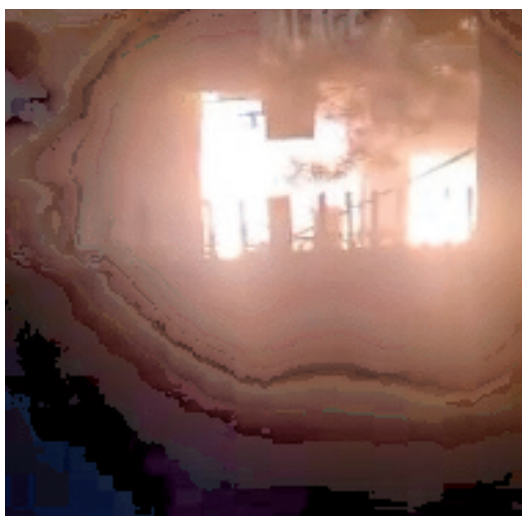

अजीत पवार के निधन पर ठाकुर संजीव कुमार सिंह ने जताया गहरा शोक

विमान हादसे को बताया संदिग्ध, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे में निधन पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और मंत्री पद के दाबेदार वरिष्ठ समाजसेवी एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ठाकुर संजीव कुमार सिंह ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना को महाराष्ट्र की राजनीति के लिए "एक काला दिन" बताते हुए इसे संदिग्ध, कहा और सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी का दिन राज्य की राजनीति के इतिहास में दुखद अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। आज जब देश का एक उपमुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा की कल्पना कैसे की जा सकती है?"

उन्होंने दावा किया कि दो दिन पहले ही उन्हें जानकारी मिली थी कि अजीत पवार पार्टी से अलग होने और अपने चाचा शरद पवार के साथ पुनः राजनीतिक रूप से सक्रिय होने की योजना बना रहे थे। ऐसे में यह हादसा कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें केवल सर्वोच्च न्यायालय पर ही भरोसा है, अन्य किसी एजेंसी पर नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में हर स्तर पर समझौते हो रहे हैं और सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा सकती है।

18 महीने पहले भी टला था बड़ा हादसा

यह पहली बार नहीं था जब अजीत पवार किसी हवाई हादसे का शिकार होते-होते बचे हों। जुलाई 2024 में वे गढ़चिरौली में एक स्टील प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया था और कुछ समय के लिए बादलों में खो गया। उस दौरान अजीत पवार बेहद चिंतित नजर आए थे, हालांकि पायलट की सूझबूझ से सभी सुरक्षित बच निकले थे।

जयपुर में एयर इंडिया विमान की आपात स्थिति, सभी यात्री सुरक्षित

अजीत पवार के हादसे के कुछ ही घंटों बाद विमान सुरक्षा को लेकर एक और गंभीर स्थिति सामने आई। दिल्ली से जयपुर जा रहा एयर इंडिया का विमान AI-1719 पहली बार लैंडिंग में असफल रहा और पायलट को 'गो-अराउंड' करना पड़ा। विमान में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी सवार थे। दूसरी कोशिश में विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई और सभी यात्री सुरक्षित हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, गो-अराउंड एक मानक सुरक्षा प्रक्रिया है, जिसे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाता है।

राजनीतिक हस्तियों से जुड़े प्रमुख हवाई हादसे

भारत में यह पहला मामला नहीं है जब किसी वरिष्ठ राजनीतिक नेता की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई हो—

2026 – अजीत पवार, उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र (Learjet 45 दुर्घटना)

2025 – विजय रूपाणी, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात

2021 – जनरल बिपिन रावत, CDS

2011 – दोरजी खांडू, मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश

2009 – वाई.एस. राजशेखर रेड्डी

2001 – माधवराव सिंधिया

1980 – संजय गांधी

हालांकि अधिकांश हादसों को मौसम या तकनीकी कारणों से जोड़ा गया, लेकिन अजीत पवार की मृत्यु ने इसे केवल दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या-समान हादसा मानने की बहस को जन्म दे दिया है।

निष्पक्ष जांच की मांग तेज

अजीत पवार की असामयिक मृत्यु ने देशभर में शोक और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। ठाकुर संजीव कुमार सिंह सहित कई नेताओं और संगठनों ने इस हादसे की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उच्चस्तरीय जांच की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

हादसे की निष्पक्ष जाँच शुरू

इस हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मिनट-दर-मिनट घटनाक्रमः शुरुआती जांच में क्या सामने आया विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) और DGCA द्वारा की जा रही प्रारंभिक जांच में हादसे की मुख्य वजह खराब मौसम और कम दृश्यता बताई जा रही है। सुबह करीब 8:48 बजे लैंडिंग के समय विजिबिलिटी लगभग 3000 मीटर थी। पायलट ने ATC को सूचित किया था कि रनवे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। दो बार लैंडिंग की कोशिश असफल रही। तीसरी बार रनवे दिखने की सूचना देने के बाद ATC ने लैंडिंग की अनुमति दी, लेकिन इसके कुछ ही मिनट बाद विमान क्रैश हो गया। बारामती एक अनियंत्रित हवाई अड्डा है, जहाँ पूर्णकालिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट नहीं है। यहाँ उड़ान संबंधी सूचनाएँ पायलट और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से साझा की जाती हैं। इस पहलू को भी जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

दरगाह में तोड़फोड़ धार्मिक एवं सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन: मदनी

देवबंद। जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ द्वारा परिसर से सटे हजरत हाजी हरमैन शाह के दरगाह में की गई तोड़फोड़ और हजरत मखदूम शाह मीना के पांच सौ वर्ष से अधिक पुराने मजारों के विरुद्ध जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिसों पर गहरी चिंता जताई है। मदनी ने कॉलेज प्रशासन को चेतावनी देते हुए नोटिसों को वापस लिए जाने की बात कही। मौलाना महमूद मदनी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से सटे यह मजार सात सौ वर्ष से भी अधिक पुराने हैं, जबकि कॉलेज की स्थापना वर्ष 1912 में हुई थी। ऐसी स्थिति में मीडिया के माध्यम से यह कहना कि कॉलेज परिसर में दरगाहों का क्या काम सरासर असत्य और भ्रम फैलाने वाला है।

मौलाना मदनी ने कहा कि कॉलेज की स्थापना के समय में ही राजस्व विभाग ने दरगाह की भूमि को कॉलेज परिसर से अलग सीमांकन के माध्यम से स्पष्ट कर दिया था, जो उसकी स्थायी और स्वतंत्र कानूनी स्थिति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल 2025 को हजरत हाजी हरमैन शाह की सीमा में स्थित वुजूखाना, इबादतगाह तथा जायरीनों की आवाजाही से संबंधित सुविधाओं को प्रोफेसर डॉ. केके सिंह की निगरानी में ध्वस्त किया जाना एकतरफा और पूरी तरह गैर-कानूनी कार्रवाई थी। इस संबंध में न तो कोई न्यायालय का आदेश मौजूद था और न ही किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति ली गई थी, बल्कि यह कार्रवाई मीडिया में फैलाए गए गलत नैरेटिव की आड़ में की गई। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि संबंधित भूमि वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत विधिवत वक्फ संपत्ति है और सुन्नी वक्फ बोर्ड में पंजीकृत है। उन्होंने इसे कॉलेज प्रसासन की मनमानी करार दिया।

दिल्ली विश्वविद्यालय में 'विकसित भारत की परिकल्पना : परिप्रेक्ष्य और चुनौतियाँ' विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

परिवहन विशेष न्यूज, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय की मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम समिति द्वारा 'विकसित भारत की परिकल्पना : परिप्रेक्ष्य और चुनौतियाँ' विषय पर दो दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला (कैपिसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप) का आयोजन किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए आयोजित इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम समिति के अध्यक्ष प्रो. निरंजन कुमार ने विकसित भारत पर चर्चा करते हुए प्रश्न उठाया कि क्या भारत पहले एक विकसित राष्ट्र नहीं था? इस सम्बंध में आँकड़े देते उन्होंने बताया पहली से लेकर 16वीं-17वीं तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पुनः विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने समृद्धि के साथ-साथ संस्कारयुक्त जिस विकसित भारत की परिकल्पना प्रस्तुत की है, उसी को ध्यान में रखकर दिल्ली विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल ने विकास, पर्यावरण और विरासत के संबंधों पर प्रकाश डाला।उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र के निर्माण में प्रयोगात्मक रूप से भी सक्रिय होना पड़ेगा। हमें रूस, अमेरिका या चीन आदि दूसरे देशों की नकल करने की बजाय अपने लिए एक भारतीय राह बनाना होगा। विलियम डेलरिंपल की पुस्तक 'द गोल्डन रोड' की चर्चा करते हुए उन्होंने विश्व की तरक्की का स्रोत भारत को बताया है और कहा कि विकसित भारत के निर्माण में अतीत को ओझल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के भारत का युवा अंकल चिप्स के साथ माइक्रो चिप्स, चरखा के साथ चंद्रयान, योग के साथ एल्गोरिदम की बात भी करता है। उन्होंने जोर दिया कि भारतीयों युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में पेटेंट लेने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारे हमारे ज्ञान पर कोई दूसरा ना दावा कर ले। प्रो प्रभात मित्तल, प्रो सुरेंद्र कुमार, प्रो रेखा सक्सेना, प्रो रुपाली गोयंका और प्रो रजनी साहनी आदि ने तकनीकी सत्रों में अपना व्याख्यान दिया। यहाँ बता दें दिल्ली विश्वविद्यालय की मूल्य संवर्धन पाठ्क्रम समिति शिक्षकों के लिए इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन लगातार करती रहती है।

असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा, विवादित बयान को लेकर वसीम अहमद ने कड़ी निंदा की है

परिवहन विशेष न्यूज, असम के मुख्यमंत्री एक बड़े ओहदे पर है और इस तरह का बयान बाजी ये दरसाता है कि उनके मन में मुस्लिम समुदाय के प्रति कितनी नफ़रत भरी हुई है आखिर इस तरह के बयान देकर क्या साबित करना चाहते है जो राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह भाषा का प्रयोग करें ये बहुत ही दुखत एवं निंदनीय है

मुसलमान को तकलीफ पहुंचाओ अगर मुसलमान रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए दो जो मुख्यमंत्री सह संविधान का सपथ लेकर हर समुदाय को एक साथ लेकर चलने का सपथ लेता वो एक समुदाय के खिलाफ ऐसा व्यवहार क्यों अब सुप्रीम कोर्ट को इस पर क्या कोई भी आम व्यक्ति हो या कोई बड़े ओहदे पर बैठकर इस तरह की भाषा प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लेकर कानूनी कार्रवाई करें असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा,हो या किसी अन्य राज्य का मुख्यमंत्री या कोई अन्य शख्स हो। देशभर में महंगाई बेरोज़गारी शिक्षा रोज़गार स्वास्थ्य स्कूल कॉलेज पर कोई बात नहीं करते हैं बस हिंदू मुस्लिम देशभर में नफ़रत बोया जा रहा है आखिर कबतक लोगों को एक दूसरे के खिलाफ आपस में लड़वाते रहेंगे।

वसीम अहमद पुर्व मिडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश

पुण्य तिथि-30 जनवरी पर विशेष : भारतीय राजनीति में आज भी प्रासांगिक एवं अद्वीतीय है महात्मा गांधी

लाल बिहारी लाल

भारत में सत्ता दिल्ली सलतनत से मुगल साम्राज्य फिर मुगल से जब सत्ता अंग्रैजो के हाथ में गई तो पहले अंग्रैजों का व्यापारिक उदेश्य था पर धीरे-धीरे उनका राजनैतिक रुप भी समने नजर आने लगा। और वे अपने इस कुटिल चाल में कामयाब भी हो गये । धीरे –धीरे उनके क्रिया-कलापों के प्रति जनमानस में असंतोष की भावना पनपने लगी इसी का परिणाम सन 1857 के सिपाही विद्रोह के रुप में देखने को मिला।

सन 1857के विद्रोह के बाद जनमानस संगठित होने लगा और अंग्रैजों के विरुद्ध लामबंद होने लगा। प्रबुद्ध लोगों और आजादी के दीवानों द्वारा सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीयकांग्रेस की स्थापना की गई। प्रारंभिक 20 वर्षों में 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी नेताओ का दबदबा रहा। इसके बाद धीरे-धीरे चरमपंथी(गरमदल) नेताओ के हाथों में बागडोर जाने लगी। इसी बीच महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को स्वदेश (मुम्बई)में कदम रखा तभी से हर साल 9 प्रवासी दिवस मनाते आ रहे हैं। जब गांधी जी स्वदेश आये तो उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले ने सुभाव दिया कि आप देश में जगह-जगह भ्रमण कर देश की स्थिति का अवलोकन करें। अपने राजनैतिक गुरु गोखले के सुझाव पर गांधी जी ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से भ्रमण करते हुए बंगला के मशहुर लेखक रविन्द्र नाथ टैगोर से मिलने शांति निकेतन पहुँचे। वही पर टैगोर ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहा था और गांधी जी ने टैगोर को गुरु कहा था। गाँधी जी हमेशा थर्ड क्लास में यात्रा करते थे ताकि देश की वास्तविक स्थिति से अवगत हो सके। मई 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद के पास कोचरब में अपना आश्रम स्थापित किया लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण साबरमती क्षेत्र में आश्रम की स्थापना की। दिसम्बर 1915 में कांग्रेस के मुम्बई अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया गांधी जी ने यहाँविभाजित भारत को महसूस किया देश अमीर-गरीब, स्वर्ण-दलित,, हिन्दू-मुस्लिम, नरम-गरम विचारधारा , रुढ़िवादी आधुनिक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थक , ब्रिटिश विरोधी जिनको इस बात का बहुत कष्ट था कि देश गुलाम है। गांधी जी किसके पक्ष में खड़े हों या सबको साथ लेकर चले। गांधी जी उस समय के करिश्माई नेता थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सबको साथ लेकर सबके अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी।

गांधी जी ने पहली बार देश में सन 1917 में बिहार के चम्पारन में सत्याग्रह किया। उनका आन्दोलन जन आन्दोलन होता था । चंपारण में नील किसानों के तीन कठियाविधि से मुक्ति दिलाई और अंग्रैजों से अपनी बात मनवाने में कामयाब हुए। गरीबों को सुत काटने एवं उससे कपड़े बनाने की प्रेरणा दी जिससे इनके जीवन-यापन में गुणात्मक सुधार आया।

गुजरात क्षेत्र का खेडा क्षेत्र -बाढ़ एवं

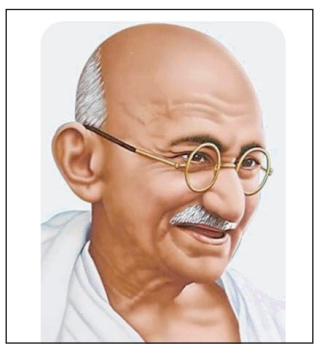

अकाल से पीड़ति था जैसे सरदार पटेल एंव अनेक स्वयं सेवक आगे आये उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कर राहत की माँग की । गांधी जी के आगे अंग्रैजो को झुकना पड़ा किसानों को कर देने से मुक्ति मिली सभी कैदी मुक्त कर दिए गये गांधी जी की ख्याति देश भर में फैल गई। यही नहीं खेड़ा क्षेत्र के निवासियों को स्वच्छता का पाठ पढाया। वहाँ के शराबियों को शराब की लत को भी छुडवाया। सन 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने रालेटएक्ट के तहत प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध लगा दिया, बिना जाँच के किसी को भी कारागार में डाला जा सकता था । गांधी जी ने देशभर में रालेट एक्ट के विरुद्ध अभियान चलाया।पंजाब में इस एक्ट का विशेष रूप से विरोध हुआ पंजाब जाते समय में गांधी जी को कैद कर लिया गया साथ ही स्थानीय कांग्रेसियों को भी कैद कर लिया गया । 13 अप्रैल को 1919 बैसाखी के पर्व पर जिसे हिन्दू मुस्लिम सिख सभी मनाते थे अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे। जलियांवालाबाग़ चारों तरफ से मकानों से घिरा था बाहर जाने के लिए एक ही गेट था वहाँ एक जनसभा में नेता भाषण दे रहे थे तभी जरनल डायर ने निकलने के एकमात्र रास्ते को रोक कर निर्दोष बच्चों स्त्रियों व पुरुषों को गोलियों से भून डाला एक के ऊपर एक गिर कर लाशों के ढेर लग गये जिससे पूरा देश आहत हुआ गांधी जी ने खुल कर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया अब एक ऐसे देशव्यापी आन्दोलन की जरूरत थी जिससे ब्रिटिश सरकार की जड़े हिल जाएँ ।

खिलाफत आंदोलन के जरीये हिन्दू-मुस्लिम एकता की बात हो या फिर असहयोग आंदोलन की गांधी जी ने अपना परचम अग्रैजों के विरुद्ध पूरे देश में लहरा दिया। दिसंबर 1921 में गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य अब स्वराज्य हासिल करना हो गया। गांधी जी ने अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस को राष्ट्रीय फलक पर पहुँचाने की बात की। इन्होंने एक अनुशासनात्मक समिति का गठन किया। 1925-1928 तक गांधी जी ने समाज सुधार के लिए भी काफी काम किया। धीरे –धीरे कांग्रेस का दबदबा पूरे देश में बढ़ता गया। और राष्ट्र की भावना को प्रेरित कर देशवासियों को एक सूत्र में पिरोने का काम गांधी जी ने बाखूबी किया। चौराचौरी के घटना से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया पर इन्होने अपनी बात को पूरजोर तरीके से रखना जारी रखा। इन्होने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से पहले जपान पर परमाणु बम से हमले की निंदा की, आहत भी हुए पर अपना सत्य और अहिंसा कामार्ग नहीं छोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या सन 1942 में गांधी जी द्वारा अग्रैजों भारत छोड़ों आन्दोलन में करो या मरो का नारा। आजादी की मांग में गांधी जी का योदगान धीरे धीरे शिखर को चुमने लगा। अंत में अग्रैज विवश हो गये और ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के पहल पर कैबिनेट मिशन की घोषणा कर दी गई। ब्रिटीश कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रुप में दुनिया के पटल पर उदय हुआ। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथुराम गोड्से द्वारा कर कर दी गई ।फिर भी भारतीय राजनीति में गांधी जी आज भी प्रासांगिक एवं अद्वितीय है। गांधी जी भारत के हर जनमानस में विद्यमान है।

लेखक- साहित्य टी.वी.के संपादक हैं।

कैमूर में महाराजाधिराज श्री हरसू ब्रह्म बाबा का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न, उमड़ा जनसैलाब

कैमूर/बिहार संवाददाता कैमूर.....

हरशुवंशी परिवार, कैमूर के तत्वावधान में आयोजित महाराजाधिराज श्री हरसू ब्रह्म बाबा का जन्मोत्सव श्रद्धा, भक्ति और गरिमामय वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर अतिथि के रूप में शिवपूजन शास्त्री जी महाराज एवं प्रसिद्ध गायक श्री अंकुश राजा और विकास पांडेय और माननीय मंत्री एवं विधायक सहित कई जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः साष्ट्रार्चन, पुष्प-अभिषेक एवं रुद्राभिषेक से हुई। इसके पश्चात बाबा की भव्य झांकी एवं शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें पूरे ब्राह्मण समाज का अभूतपूर्व जुटाव देखने को मिला। समाज के सभी

वर्गों—बुजुर्गों, युवाओं एवं मातृशक्ति—की सहभागिता ने आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया।

इस भव्य आयोजन के मुख्य आयोजक युवा संतोष कुमार चतुर्वेदी रहे। लोगों ने बताया कि पिछले तीन वर्षों से संतोष कुमार चतुर्वेदी के नेतृत्व में लगातार यह शोभायात्रा निकाली जा रही है, और इस वर्ष भी उनके अथक परिश्रम, समर्पण एवं बेहतर व्यवस्थापन के कारण कार्यक्रम पूरी तरह सफल रहा।

कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजन टीम के सदस्यों का विशेष योगदान रहा, जिनमें प्रमुख रूप सेः

सूर्यांश पांडेय, विकास गौरव पांडेय, उत्तम पांडेय,अभिषेक मिश्रा, अमन मिश्रा, सोनू पांडेय, रैना पांडेय, दुर्गेश चौबे, शिवम ,शुभम्एवं अन्य शामिल रहे। इन सभी के सहयोग, अनुशासन और सेवा भावना से आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हो सका।

आयोजक मंडल द्वारा पुलिस प्रशासन का विशेष धन्यवाद किया गया, जिनके सहयोग से संपूर्ण कार्यक्रम एवं शोभायात्रा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। साथ ही यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालुओं, ब्राह्मण समाज के सम्मानित सदस्यों, स्वयंसेवकों एवं सहयोगियों के प्रति आयोजकों ने हृदय से आभार व्यक्त किया।

आयोजकों ने कहा कि यह आयोजन केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि ब्राह्मण समाज की एकता, युवाओं की नेतृत्व क्षमता और सांस्कृतिक चेतना का सशक्त उदाहरण है।

रिपोटर संतोष कुमार चतुर्वेदी

Banaras Lit Fest में साहित्य के साथ खेल और संगीत का अनोखा संगम, 30 जनवरी से होगा आयोजन

संगिनी घोष,

वाराणसी, २१ जनवरी — सांस्कृतिक राजधानी माने जाने वाले वाराणसी में बनारस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन इस बार एक खास अंदाज में होने जा रहा है। यह उत्सव ३० जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगा, जिसमें साहित्य के साथ-साथ संगीत, खेल और वैश्विक कला की झलक भी देखने को मिलेगी।

इस महोत्सव को केवल किताबों और लेखकों तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे एक ऐसे मंच के रूप में तैयार किया गया है जहाँ रचनात्मकता के कई रंग एक साथ नजर आएंगे। आयोजकों के अनुसार इस बार का फेस्टिवल युवाओं और सांस्कृतिक प्रेमियों को खास तौर पर आकर्षित कर सकता है।

लेखकों, कलाकारों और खिलाड़ियों की होगी भागीदारी फेस्टिवल में देश-विदेश के लेखक, कवि, कलाकार और खिलाड़ी शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान साहित्यिक चर्चाओं के साथ-साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे।

आयोजन का उद्देश्य सिर्फ साहित्य को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को एक व्यापक मंच पर प्रस्तुत करना भी है।

मुख्य बिंदु

1.आयोजन का नाम: बनारस लिटरेचर फेस्टिवल

१. तारीख: ३० जनवरी से 1 फरवरी

३. स्थान: वाराणसी

4. विशेषता: साहित्य के साथ संगीत, खेल और कला का मेल

5. प्रतिभागी: लेखक, कलाकार, कवि और खिलाड़ी

6. उद्देश्य: भारत की सांस्कृतिक विरासत

का उत्सव और संवाद

वाराणसी की सांस्कृतिक पहचान को मिलेगा नया मंच

वाराणसी पहले से ही अपनी परंपरा, संगीत और साहित्यिक इतिहास के लिए जाना जाता है। ऐसे में यह महोत्सव शहर की पहचान को और मजबूत करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आयोजन न केवल कला-संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, बल्कि पर्यटन और स्थानीय रचनात्मक समुदाय को भी नया अवसर देते हैं।

आगे की राह

आने वाले दिनों में बनारस लिट फेस्ट वाराणसी को एक बार फिर सांस्कृतिक चर्चाओं और रचनात्मक प्रस्तुतियों का केंद्र बना देगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि साहित्य, खेल और कला का यह अनोखा संयोजन दर्शकों को किस तरह जोड़ता है।

डिजिटल मेटा डिस्क्रिप्शन (SEO):

बनारस लिटरेचर फेस्टिवल ३० जनवरी से 1 फरवरी तक वाराणसी में आयोजित होगा। साहित्य, संगीत, खेल और कला के इस अनोखे संगम में लेखक, कलाकार और खिलाड़ी भाग लेंगे।

"कल्चर कोलाज" लुक

विजय गर्ग

2026 में कल्चर कोलाज लुक का उदय दो प्रमुख सांस्कृतिक शक्तियों की सीधी प्रतिक्रिया है: डिजिटल थकानः वर्षों तक ₹परफेक्टर एआई-जनरेटेड इमेजरी को स्क्रॉल करने के बाद, मूर्त और मानवीय चीजों की लालसा पैदा हो जाती है। ₹स्क्रैपबुक शैलीः (इस वर्ष एक शीर्ष ग्राफिक डिजाइन प्रवृत्ति) दृश्य अपूर्णताओं की इच्छा को दर्शाती है जो यह साबित करती है कि इसमें मानव हाथ शामिल था।

फैशन हमेशा से कपड़े से अधिक रहा है और यह एक भाषा है। हाल के वर्षों में, इस भाषा की सबसे उल्लेखनीय अभिव्यक्तियों में से एक है ₹सीट कल्चर कोलाज कैगली लुक₹ का उदय, जो विभिन्न संस्कृतियों, युगों और परंपराओं के तत्वों को एक एकल, अभिव्यंजक पोशाक में मिश्रित करती है। यह एक परंपरा की नकल करने के बारे में नहीं है, बल्कि कई लोगों के बीच दृश्य वार्तालाप को व्यवस्थित करने के लिए है।

कल्चर कोलाज लुक क्या है?

कल्चर कोलाज लुक विविध सांस्कृतिक संदर्भों को एक साथ लाता है - पारंपरिक वस्त्र, स्वदेशी पैटर्न, स्ट्रीटवियर सिल्हूट, विंटेज सहायक उपकरण और समकालीन कट्स। डेनिम जैकेट के साथ जोड़ी गई हैंडलूम साड़ी, पश्चिमी सिलाई में मिश्रित अफ्रीकी प्रिंट, या न्यूनतम पोशाकों के साथ पहने गए आदिवासी आभूषण, ये सभी इस सौंदर्य का उदाहरण हैं। इसका परिणाम स्तरित, व्यक्तिगत और गहन प्रतीकात्मक है।

2026 में कल्चर कोलाज लुक का उदय दो प्रमुख सांस्कृतिक शक्तियों की सीधी प्रतिक्रिया हैः डिजिटल थकानः वर्षों तक ₹परफेक्टर₹ एआई-जनरेटेड इमेजरी को स्क्रॉल करने के बाद, मूर्त और मानवीय चीजों की लालसा पैदा हो जाती है। ₹स्क्रैपबुक शैली₹ (इस वर्ष एक शीर्ष ग्राफिक डिजाइन प्रवृत्ति) दृश्य अपूर्णताओं की इच्छा को दर्शाती है जो यह साबित करती है कि इसमें मानव हाथ शामिल था। ₹नव-ब्रूटलिस्ट₹ प्रभावः वर्तमान डिजाइन कच्चे लेआउट और ₹जानबूझकर घर्षण₹ के पक्ष में है शैलियों के बीच सहज संक्रमण के बजाय, कल्चर कोलाज उन तीखे किनारों का जश्न मनाता है जहां दो अलग-अलग दुनियाएं मिलती हैं। 4. लुक को कैसे स्टाइल करें यदि आप इस सौंदर्य को अपनी अलमारी या रचनात्मक कार्य में शामिल करना चाहते हैं, तो इन चरणों का पालन करेंः आधार कथा से शुरुआत करेंः एक विषय चुनें, शायद ₹आधुनिक खानाबदोश₹ या ₹परिवार संग्रह। तीन बनावट का नियमः कम से कम तीन अलग-अलग सामग्रियों को मिलाने का लक्ष्य रखें। उदाहरण के लिएः एक डेनिम बेस, एक धातु सहायक उपकरण, और एक भारी ऊन परत। ₹टकराव₹ को अपनाएंः ऐसे रंगों की तलाश न करें जो पूरी तरह से मेल खाते हों। इसके बजाय, ऐसे रंगों की तलाश करें जिनकी संतृप्ति या तीव्रता समान हो। ₹व्यूफाइंडर₹ का उपयोग करेंः कोलाज कलाकारों की तरह, अपने पहनावे को ₹व्यूफाईंडर₹ (या दर्पण) के माध्यम से देखें ताकि पता चल सके कि आंख कहां टिकी है। यदि कोई क्षेत्र बहुत व्यस्त लगता है, तो उसे अन्यत्र एक ठोस, तटस्थ ब्लॉक के साथ संतुलित करें।

यह लोकप्रियता क्यों प्राप्त कर रहा है?

वैश्विक, डिजिटल दुनिया में लोग हर दिन अनेक संस्कृतियों से परिचित होते हैं। सोशल मीडिया, यात्रा, फिल्में और संगीत ने सीमाओं को धुंधला कर दिया है, जिससे संकर पहचान अधिक दृश्यमान और स्वीकार्य हो गई है। कल्चर कोलाज लुक इस वास्तविकता को दर्शाता है - यह दर्शाता है कि कितने लोग दुनिया के बीच रहते हैं, एक ही समय में स्थानीय जड़ों और वैश्विक विचारों से प्रभावित होते हैं।

विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए, फैशन यह कहने का एक तरीका बन जाता हैः ₹मैं सिर्फ एक चीज नहीं हूं। यह कठोर लेबलों को अस्वीकार करना और तरल पहचान का उत्सव है।

अर्थ के साथ फैशन

तेज, ट्रेंड-संचालित फैशन के विपरीत, कल्चर कोलाज लुक में अक्सर कहानियां और भावनाएं होती हैं। हस्तनिर्मित कपड़े, विरासत में मिली सहायक वस्तुएं, या क्षेत्र-विशिष्ट आकृति पहनने वालों को इतिहास और स्मृति से जोड़ती हैं। जब इन्हें आधुनिक कलाकृतियों के साथ सोच-समझकर जोड़ा जाता है, तो ये तत्व परंपराओं को जीवित रखते हैं - संग्रहालयों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में।

डिजाइनर भी इस दृष्टिकोण को अपना रहे हैं, कारीगरों के साथ सहयोग कर रहे हैं और समकालीन दर्शकों के लिए पारंपरिक शिल्प की पुनः कल्पना कर रहे हैं। नैतिक रूप से किया जाए तो इससे सांस्कृतिक समुदायों के लिए सम्मान, दृश्यता और आजीविका का सृजन होता है।

बारीक रेखाः प्रशंसा बनाम विनियोग

कल्चर कोलाज लुक भी संवेदनशीलता की मांग करता है। संस्कृतियों का मिश्रण समझ और सम्मान से होना चाहिए, न कि सतही उधार से। प्रतीकों के पीछे का अर्थ जानना, स्रोतों को श्रेय देना और प्रामाणिक शिल्प कौशल का समर्थन करना आवश्यक है। सच्चा संस्कृति कोलाज संवाद के बारे में है, प्रभुत्व के बारे में नहीं।

एक प्रवृत्ति से अधिक

अंततः, कल्चर कोलाज लुक सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं है - यह आधुनिक दुनिया का प्रतिबिंब है। यह दर्शाता है कि आज की पहचान किस प्रकार स्तरित, परस्पर जुड़ी हुई और विकसित हो रही है। पुराने और नए, स्थानीय और वैश्विक को एक साथ जोड़कर, यह शैली कपड़ों को संस्कृति के कैनवास में बदल देती है।

ऐसे समय में जब व्यक्तित्व एकरूपता से अधिक मायने रखता है, कल्चर कोलाज लुक हमें याद दिलाता है कि हमारे मतभेद कभी भी टकराव नहीं करते हैं - वे खूबसूरती से सह-अस्तित्व कर सकते हैं।

सेवानिवृत्त प्रधान शैक्षिक स्तंभकार प्रख्यात शिक्षाविद स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब-152107

संपादकीय चिंतन-मनन

सुप्रीम कोर्ट की यूजीसी नियमों पर रोकः सत्ता की साजिश को संविधान ने पटक दिया

संजय कुमार बाठला

सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी 2026 को यूजीसी के विवादास्पद नए नियमों पर रोक लगाकर एक बार फिर साबित कर दिया कि इस देश में आखिरी शब्द सत्ता का नहीं, संविधान का बोलता है।

यह नियम —

* जिनमें PhD प्रवेश के लिए NET स्कोर अनिवार्य करना,
* सिंगल एंट्रेंस एग्जाम लागू करना और
* शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में मनमानी बदलाव शामिल थे
* — छात्रों और शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ थे।

कोर्ट ने साफ कहा: ये नियम संवैधानिक नहीं, इसलिए लागू नहीं होंगे।

यह फैसला न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को बचाता है, बल्कि सत्ता की मनमानी को आईना दिखाता है।

याद कीजिए, यही वह सुप्रीम कोर्ट है

* जिसके चीफ जस्टिस के खिलाफ हाल के महीनों में नफरत का सुनामी छोड़ा गया।
* सोशल मीडिया पर गालियां बरसाई गईं,
* 'चप्पल उछालो' जैसे नारे लगाए गए, और
* संस्था को 'सत्ता - विरोधी' ठहराने की कोशिश हुई।

भाजपा आईटी सेल से लेकर उसके समर्थक चैनलों तक ने कोर्ट को निशाना बनाया। लेकिन आज वही कोर्ट सत्ता के बनाए नियमों पर ब्रेक लगा रहा है।

सवाल सीधा है:

* अगर सुप्रीम कोर्ट सत्ता का गुलाम होता, तो यह रोक लगती ही क्यों?
* यह फैसला चीख-चीखकर कहता है — कोर्ट किसी पार्टी का एजेंट नहीं, संविधान का रखवाला है।
* भाजपा सरकार के ये नियम शिक्षा को राजनीतिक हथियार बनाने की कवायद थे।
* NET को PhD के लिए अनिवार्य बताकर लाखों छात्रों को परेशान करना,
* राज्य विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता छीनना
* — यह सब 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के नाम पर सत्ता का विस्तार था।
* लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
* यह राहत भाजपा ने नहीं दी।
* न मोदी जी के भाषणों से आई,
* न अमित शाह के ट्वीट से,
* न अर्नब गोस्वामी की डिबेट से।

यह राहत उसी सुप्रीम कोर्ट से आई, जिसे 'वामपंथी' बताकर बदनाम किया जा रहा था।

अब जो छात्र, शिक्षक और बुद्धिजीवी राहत की सांस ले रहे हैं, वह एक कड़वी सच्चाई समझें:

लोकतंत्र तालियों, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या चुनावी वादों से नहीं चलता।

यह मजबूत संस्थाओं — सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, CBI जैसी — से चलता है।

* जब सत्ता सवालों से डरने लगे,
* विपक्ष को कुचलने लगे, और
* मीडिया को खरीद ले,

तब सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम दीवार बनता है।

भाजपा के 12 सालों में कोर्ट पर हमले बढ़े हैं

* —ईडब्ल्यूएस कोटा,
* CAA, किसान कानून
* — हर बार कोर्ट ने संविधान की रक्षा की।
* लेकिन सत्ता इसे 'न्यायिक अतिक्रमण' कहकर कोर्ट को कमजोर करने की साजिश रच रही है।

सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना किसी जज या केस के साथ खड़ा होना नहीं है। यह संविधान के साथ, शिक्षा के भविष्य के साथ, लोकतंत्र की आत्मा के साथ खड़ा होना है।

अगर हम चुप रहे, तो कल सत्ता शिक्षा को भी अपने एजेंडे में ढाल लेगी।

समय है जागने का — कोर्ट को मजबूत बनाओ, सत्ता को जवाबदेह बनाओ। वरना, संविधान सिर्फ किताबों में रह जाएगा।

एक साक्षात्कार वरिष्ठ पत्रकार से उनकी आपबीती - हकीकत पर।

जब अच्छे लोग किसी का बुरा नहीं करते, गलत बातों का विरोध करते हैं। लोगों को उनके हक दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। तो फिर उनका बुरा कैसे हो सकता है।

परेशानी सिर्फ क्षण भर की रहती है और उन्हें सब का प्रभुत्व हो जाता है। ऐसी ही सच्चा अनुभव यह हकीकत इन्दौर शहर के जाने-माने पत्रकार जो अपनी बेबाक छवि के लिए जाने जाते हैं वही अनिल कुमार धड़वईवाले जी का अपने शहर इन्दौर के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पर यहीं स्वतंत्र पत्रकार व लेखक हरिहर सिंह चौहान से हुई, बातचीत के अंश।

हरिहर - अनिल दादा आप के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप के मुंह से पहला वाक्य क्या निकला।

यही की मेरे शहर इन्दौर में इंसानियत अभी ज़िन्दा है।

हरिहर - क्या घटनाक्रम हुआ दादा बतायें।

हरिहर - मैं 25 जनवरी 2026 की रात कोई 10:30 बजे के करीब का वाकिया है यह जब मैं एक आर्टिस्ट (चित्रकार) होने के नाते शाम को शहर के प्रीतमलाल दुवा सभागृह भवन में स्थित आर्ट गैलेरी में कला प्रदर्शनी का अवलोकन करने गया था। वहां देर तक नुमाईश देखी और अपने नये-पुराने कलाकार मित्रों का संग काफी देर गपशप की, चाय- पानी किया। उसी के साथ सभागार में आयोजित 'सेवा सुरभि" के कार्यक्रम में भी मौजूद रहा। देश भक्तियुक्त मधुर गानों का लुत्फ़ भी उठाया।

हरिहर - फिर क्या हुआ दादा।

उसके बाद अपने छोटे से वाहन "टीवीएस" से घर की ओर इन्दौर की तरह शहर के ट्राफिक के नज़रिये को देखते हुए 20-25 की रफ्तार से सावधानी पूर्वक एक-डेढ़ किलो मीटर के फांसले पर स्थित अपने घर लौट रहा था। उस समय रात का वक्त था, और रविवार होने से बाजार बन्द भी थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सड़क पर इक्का-दुक्का दो पहियाँ चार पहियाँ वाहन चल रहे थे। इसी दौरान सड़क के किनारे किनारे गाड़ी चलाते अचानक जोरदार चक्कर आए और मैं सड़क किनारे गिर पड़ा।

लेकिन ईश्वर की कृपा और तकदीर ने साथ दिया कि कोई बड़ा वाहन सड़क से नहीं गुज़रा था / अचानक गिरने से मैं बेहोश पड़ा, चक्कर से नहीं पाया था / न्यूरोलॉजिस्ट से ब्रेन संबंधी ट्रीटमेंट चलने से टेबलेट पास में होने के बावजूद नहीं ले पाया था, इसी कारण शायद ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो गया था / लेकिन मेरे शहर इन्दौर की भलाई समझे

उसी वक़्त उस रास्ते से आने जानेवाले कुछ महिला-पुरुषों ने मुझे साथ दिया, धीरे से मुझे उठाया पास ही की दुकान के ओटले बिठाया और वाहन को स्टैंड पर खड़ा किया/ कुछ देर बाद मुझे उल्टी भी हुई /लोगों ने अपने पास रखा हुआ पानी भी दिया। और हॉस्पिटल ले चले। इतना कौन पूछता है इस जमाने में भाई।

हरिहर - इसे देखकर आप को कैसा लगा दादा।

देखो भाई अपने इन्दौर में सदभाव भाईचारा दु:ख में साथ देना वहां भी

बडी आत्मीयता से इतना पुछना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। यहां तक वह कुछ महिलाओं ने अपने पास रखी

कुछ मीठी गोलियां भी मुझे थी थी, वह भी बिना स्वार्थ के, इसी बीच फिर मैंने अपनी दवाई भी ली। उस समयावधि मेरी उस अवस्था को देखते किसी ने भी गलत व असभ्य डायलॉग बाजी नहीं की, सभी कोई 15-20 लोगों का व्यवहार पूर्ण रूप से मानवीयता और सभ्यता से पूर्ण रहा।

सभी सह्रदयी सज्जन थे और उस समय किसी ने भी विडिओ ग्राफ़ी भी नही की। जिससे मुझे बहुत संतोष मिला मानसिक शांति मिली और कुछ ने ऑटो से घर पहुंचा देने की बात भी की, लेकिन घर आधा किलोमीटर ही दूर होने और परिवार जनों को टेंशन नही हो, इसलिये मैंने मना कर दिया। उसके बाद मेडिसिन लेने के उपरांत रास्ते में भी थोडी तकलीफ हुई। लेकिन कुछ पुलिस कर्मीयों व अन्य लोगों ने साथ दिया। जिससे मै सकुशल अपने घर सुरक्षित पहुंच गया था। कुछ अंदरुनी मार लगी है, हाथ और घुटने में चोट और घाव है। जिसका इलाज व उपचार शुरू कर दिया है।

दादा इतना सकारात्मक परिणाम देखकर आप जैसे बुद्धिजीवी समाजसेवी और कलमकार का क्या संदेश है अपने इन्दौर के लिए...।

देखो भाई जो भी हकीकत में मेरे साथ में हुआ और उसके बाद लोगों ने तमाशा नहीं देखा यह पहली अच्छी बात रही। दूसरी जो लोग मददगार बन सहयोग के जिनके हाथ उठे वहीं मानवीय सरोकार भाव है। अगर किसी दुघर्टना, यह दुख-तकलीफ में जो साथ दे वह सही में भगवान स्वरूप है। ऐसे भाव से समय रहते लोगों को सही उपचार मिल जाएगा और जान बच जाएगी।

हरिहर - ऐसा लगता है की अच्छे व सच की राह पर चलने वालों की मदद ईश्वर भी करते हैं।

अनिल कुमार धड़वईवाले - बिल्कुल सही कहा, बस यह तो आप सभी आत्मीयजनों की दुवाऐं है /और कुछ नही,,,

इस घटनाक्रम की सबसे अच्छी बात, और बड़ी खुशकिस्मती यह रही कि मै अपनी कलमकारी से जिन एक-डेढ़ हजार भ्रष्ट लोगों के काले कारनामें उजागर करते आया हूं / उनमें से कोई और उनका कोई करीबी भी घटना स्थल पर नही था / वरन अभी तक सोशल मिडिया पर एक से बढ़कर एक विडिओ पियक्कड के रूप में वायरल हो ही जाते / क्योंकि,,,, " ये दुनिया है, सब जानती है"

हरिहर - हां अनिल दादा सच्चे का बोलबाला और झूठे का मूंह तो काला ही होता है..।

लेकिन घायल व्यक्तियों को त्वरित इलाज मिल जाये, और लोग तमाशबीन नहीं बनें तो सड़क दुघर्टनाओं में लोगों को जान नहीं गावना पढ़ें।

अनिल कुमार - हां यह तो अच्छे संस्कार है अपने शहर इन्दौर के जिसके कारण मुझे एक नया जीवन मिला।

इस सच्ची व आपबीती हकीकत को एक साक्षात्कार रुप में स्वतंत्र लेखक हरिहर सिंह चौहान ने वरिष्ठ पत्रकार - अनिल कुमार धड़वईवाले, इन्दौर की इस बात को आप सभी पाठकों के बीच पहुंचाई है। जिसका मुख्य उद्देश्य की सड़क दुघर्टनाओं में लोगों को त्वरित इलाज मिले, सहयोग करने वाले नि:स्वार्थ भाव से मददगार बने तो लाखों लोग की जान बच सकती है। क्योंकि जान है तो जहान है।

सच्ची व आपबीती हकीकत वरिष्ठ पत्रकार अनिल कुमार धड़वईवाले इन्दौर ने स्वतंत्र पत्रकार व लेखक हरिहर सिंह चौहान को बताई।

अनिल कुमार धड़वईवाले इन्दौर वरिष्ठ पत्रकार की आपबीती हकीकत।

बहाना यूजीसी, इरादा मनु की प्रेतसिद्धि : (आलेख : बादल सरोज)

बीते कुछ दिनों से कुनबे ने तेजी के साथ, कभी बासी नहीं होने दी कढ़ी में फिर से उबाल लाने की खुराफात शुरू की हुई है। तरीका वही पुराना है, अधूरी जानकारी में तड़का लगाकर अफवाहें फैलाना, सूचना के अभाव से उपजे अज्ञान में व्हाट्सअप का गोबर खाद डालना। जाति श्रेष्ठता के वायरस – विषाणु – को संक्रामक बनाकर, पहले से दुर्बल समाज को बीमार बनाना। इरादा भी वही है : सामाजिक न्याय के किसी आधे अधूरे कदम की भी मुखालफत करके उसे हिंदू समाज के लिए खतरा बताना और वर्चस्वकारी और अमानवीय जातिगत उत्पीड़न को शास्त्रसम्मत महान परम्परा बताते हुए उसकी रोकथाम के लिए किये जाने वाले मामूली और कमजोर कदमों को भी जातिवाद फैलाने वाला कहकर कोहराम मचाना।

अलबत्ता मुद्दा इस बार नया है। इस बार यूजीसी के नए नियमों को बहाना बनाकर उन्माद पैदा किया जा रहा है। डेढ़ सयाने पोंगे इसे कथित सवर्ण समुदाय के लिए जीवन मृत्यु का संकट बता रहे हैं और संयोग से जाति विशेष में जन्मे कुछ भोले भाले घोंघे, बिना इस हंगामे के पीछे छुपी शातिर बदनीयत को समझे उनके दाने को चुग कर भरम जाल में फंस रहे हैं।

इन पंक्तियों के लिखे जाने तक कई रणबांकुरे अपना लंघोट लहरा अखाड़े में कूद चुके हैं। नफरती भाषण के कई मुकदमों में एफ़आईआर शुदा, गाँधी से एपीजे अब्दुल कलाम तक के खिलाफ अपशब्द बोलने और मुसलमानों के नरसंहार तक का आह्वान करने वाले, खुद लंदन-मास्को में नौकरी करके लौटे, भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने का दम भरने वाले, कथित अखिल भारतीय संत परिषद् के अध्यक्ष और संघी कुनबे के प्रिय दीपक त्यागी उर्फ़ यति नरसिंहानंद ने यूजीसी के नए नियमों को मौत का परवाना – डेथ वारंट – बताया है।

कुकवि कुमार विश्वास ने इसे सवर्णों का रोआं-रोआं उखाड़ने वाला बताते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के सारे गधे घोड़े खोल दिए हैं। यूपी की बरेली के एक दोयम दर्जे के अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने खुद को हाथ में लिए पोस्टर से कलंकृत करते हुए इन नियमों को रोलेट एक्ट बताया है और अपने पद से इस्तीफे का एलान करके आग में घी देने का अग्निहोत्र कर्म पूरा कर दिया है। भाजपा के तीसरे और चौथे दर्जे के नेताओं ने अपनी त्यागपत्र की पुंगियों से अग्निकुंड में आहुति देने का धर्म निबाहा।

इस प्रायोजित व्यथा की कथा को समझने के लिए बात की शुरुआत शुरू से ही करना ठीक होगा। और वह इस तरह कि यह जाना जाए कि ये नियम क्या हैं? क्या ऐसे नियम पहली बार बने हैं? क्या इन्हें सरकार ने खुश होकर खुद अपनी मर्जी से बनाया है? और इसी के साथ यह भी कि आखिर इन नियमों को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

क्या हैं यूजीसी के नए नियम?

13 जनवरी को देश की ऊपर के स्तर की शिक्षा को नियमित करने वाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – यूजीसी – ने नियमावली के नियम 3 (सी) में थोड़े बहुत सुधार और बदलाव की अधिसूचना जारी की और इन्हें 15 जनवरी से लागू कर दिया गया। इन्हें उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता के संवर्धन संबंधी नियम – प्रमोशन ऑफ़ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 कहा गया। ध्यान रहे, इस तरह के नियम पहली बार नहीं बने हैं। चौदह साल पहले 2012 में भी इससे मिलते-जुलते प्रावधान किये गए थे। उनकी आपराधिक विफलता के चलते उनमे सुधार और इस तरह के बदलाव की जरूरत पेश आई, ताकि अब उन्हें प्रभावी बनाया जा सके।

यह जरूरत भी सरकार के दिमाग में नहीं आई। इन्हें आईआईटी, आईआईएम, विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग से लेकर बड़े-बड़े मेडिकल कॉलेजों में लगातार बढ़ते जातिगत उत्पीड़न की वारदातों और दलित, आदिवासी तथा वंचित समुदायों से जुड़े छात्र-छात्राओं की आत्महत्याओं की घटनाओं में वृद्धि के चलते सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में लाया गया। सही होगा यह कहना कि लाना पड़ा।

इन नियमों के अनुसार अब :

(अ) हर उच्च शिक्षा संस्थान को अपने यहाँ समान अवसर सुनिश्चित करने वाले - इक्वल अपोर्चुनिटी सेंटर्स - बनाने होंगे।

(आ) संस्थान के प्रमुख की अध्यक्षता में एक समानता समिति – इक्विटी कमेटी – गठित करनी होगी, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े समुदाय ओबीसी, महिला और दिव्यांग सदस्य होंगे।

(इ) यह समिति साल में दो बार अपनी बैठक करेगी और हर छह माह में अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी। इस रिपोर्ट में जाति आधारित ड्रॉपआउट – बीच में पढाई छोड़ देने – की दर, कुल प्राप्त शिकायतों और उन पर की गयी कार्यवाही का ब्यौरा दिया जाएगा।

(ई) एक 24 घंटे काम करने वाली हैल्पलाइन शुरू की जायेगी।

(उ) हर छात्रावास और विभाग में इक्विटी स्क्वाड गठित किये जायेंगे, इक्विटी एम्बेसडर नियुक्त किये जायेंगे। इनका काम त्वरित हस्तक्षेप और जागरूकता पैदा करने का होगा।

(ऊ) कोई भी शिकायत मिलने पर 24 घंटे के अन्दर इस कमेटी की बैठक बुलानी होगी। उस शिकायत पर निर्धारित समय में कार्यवाही करनी होगी।

(ए) कार्यवाही की पर्याप्तता-अपर्याप्तता को लेकर अपील के लिए एक निष्पक्ष लोकपाल – ओम्बुड्समैन – होगा।

(ऐ) *इन नियमों में भेदभाव को भी परिभाषित किया गया है। जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता और जन्मस्थान के आधार पर किये जाने वाले बर्ताव को भेदभाव बताया गया है।

क्यों लाने पड़े ये नियम?

जैसा कि कहा जा चुका है ये नियम 'सबका साथ सबका विकास' की मुंहजबानी बकवास करते हुए 'कॉर्पोरेट का साथ मनु का राज' लाने वाली सरकार अपनी मर्जी से नहीं लाई है। इसकी रक्तरंजित पृष्ठभूमि है।

दस साल पहले 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद की सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे युवा रोहित वेमुला की स्कालरशिप जातिगत घृणा के आधार पर बंद कर दी गयी। इससे आहत और दुखी होकर रोहित ने आत्महत्या कर ली। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। अपने सुसाइड नोट में लिखे उसके शब्दों कि "मेरा जन्म ही एक जानलेवा अनहोनी है" ने सभ्य समाज को दहला दिया था। पूरे देश में इसके खिलाफ आक्रोश पैदा हुआ।

मगर जो बर्बर थे, वे बर्बर ही रहे। इसी नृशंस मानसिकता का उदाहरण था -- इस मामले में तब की शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा संसद में किया गया विष वमन। उन्होंने रोहित वेमुला की माँ और पिता को भी नहीं बख्शा। स्मृति ईरानी की आपराधिक टिप्पणियाँ, उन टिप्पणियों के समय बत्तीसी दिखाती भाजपा नेतृत्व की त्रयी और चौकड़ी के चेहरे देश को आज भी याद हैं। रोहित वेमुला केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। इधर तारीखें बढ़ती रहीं, उधर वारदातें बढ़ती रहीं।

22 मई 2019 को मुम्बई के एक मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर पायल तड़वी ने जातिसूचक अपमान से आजिज आकर आत्महत्या कर ली। रोहित दलित थे, तो पायल आदिवासी थीं। 12 फरवरी 2023 को आईआईटी बॉम्बे के दलित छात्र दर्शन सोलंकी ने सातवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। आईआईटी दिल्ली में बीटेक की पढ़ाई कर रहे दो छात्रों आयुष आशना ने जुलाई 2023 में और अनिल कुमार ने उसी साल 1 सितम्बर को आत्महत्या कर ली। ध्यान रहे राजधानी दिल्ली में हुए इन दोनों ही हादसों में पुलिस ने दो साल बाद एफ़आईआर दर्ज की – वह भी तब, जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। इन स्थितियों में नए नियमों की आवश्यकता महसूस हुई। मगर किसे? सरकार को? नहीं।

कैसे बनाए गए ये नियम?

इन देश भर में धिक्कारी गयी घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट में रोहित वेमुला और पायल तड़वी मामलों में दायर मुकदमों ने गति पकड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जांचा कि जातिगत आधार पर किये जाने वाले उत्पीड़न से संबंधित वर्ष 2012 में लागू किये गए नियमों की स्थिति क्या है। कोर्ट को तथ्य चाहिए थे, सो उसने यूजीसी को आदेश दिया कि वह इस तरह के मामलों से जुड़े आँकड़े इकट्ठा कर अदालत के सामने प्रस्तुत करे। आदेश की तामील में दिए अपने जवाब में यूजीसी ने माना कि अधिकाँश संस्थानों में 2012 के नियम लागू ही नहीं किये जा रहे हैं। इसके साथ जो आंकड़े प्रस्तुत किये गए, वे और भी चौंकाने वाले थे।

शपथपत्र के साथ सौंपी जानकारी में, यूजीसी ने माना कि पिछले पांच वर्षों में उच्च शिक्षा संस्थानों, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुसलझे यानि लम्बित मामलों में तो यह वृद्धि 500 – पांच सौ - प्रतिशत की है।

इसी के बारे में हुए एक सर्वेक्षण से कुछ और तथ्य सामने आये। जानकारी निकली कि देश के सर्वोच्च कहे जाने वाले शिक्षा संस्थानों – आईआईटी – में अनुसूचित जाति और जनजाति के 70 प्रतिशत छात्रों को जातिगत आधार पर, कभी न कभी, किसी न किसी रूप में उत्पीड़न झेलना पड़ा है। इसमें भी और परेशान करने वाला तथ्य यह आया कि द्रोणाचार्य यहाँ भी डटे हैं : एससी, एसटी समुदाय के हर चौथे छात्र/छात्रा को स्वयं अपने शिक्षक के द्वारा भी जातिगत भेदभाव का शिकार बनना पड़ा है।

इस भयावह स्थिति से झुंझलाकर जनवरी 2025 में सर्वोच्च अदालत ने तुरंत ऐसी ढांचागत प्रक्रिया तय करने का आदेश दिया, जिससे इस स्थिति में बदलाव लाया जा सके। नतीजे में ये नियम बने। इनका मसौदा 27 फरवरी 2025 को यूजीसी ने सार्वजनिक किया और सभी से सुझाव मांगे। यूजीसी संसद के क़ानून के तहत बनी संस्था है इसलिए और ऐसी परम्परा है। इसलिए भी, इन मसौदा नियमों को शिक्षा, महिला, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया। इसने समीक्षा की और कुछ सुझावों के साथ इन्हें अंतिम रूप दिया। इस स्थायी समिति में बाकी दलों के अलावा सीपीएम के सांसद बिकास रंजन भट्टाचार्य भी शामिल थे : अध्यक्ष दिग्विजय सिंह थे। अंततः यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को अधिसूचना जारी करके 15 जनवरी से इन नियमों को लागू कर दिया।

साफ़ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं!!

भारत की कोई 85 प्रतिशत आबादी के छात्र-छात्राओं के लिए इतनी दारुण स्थिति में मलहम –सिर्फ मलहम - - लगाने के लिए, पूरे एक वर्ष तक चली प्रक्रिया के बाद बने नियमों पर कुनबा ऐसा ढोंगी विलाप क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों बता रहा है, जैसे एकदम, अचानक, रातों-रात कुछ ऐसा अघट घट गया कि यदि उसे रोका नहीं गया, तो धर्म भ्रष्ट, समाज नष्ट और पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना अस्त-व्यस्त हो जाएगा। बिल्ली के थैले से बाहर आ जाने वाले अंग्रेजी मुहावरे की तर्ज पर कहें, तो यह भेड़ की ओढ़ी हुई खाल उतारकर भेड़यि का बाहर आना है।

यह मनु की प्रेतसिद्धि में लगे वर्णाश्रम के साधकों का आर्तनाद है। यह भारत के समाज को डेढ़-दो हजार साल के पहले की अवस्था में धकेलने पर आमादा अंधकार के पुजारियों का हाहाकार है। वे ऊँच-नीच की यातनादायी अवधारणा पर टिकी जाति श्रेष्ठता के मनोविकार की अर्थी की कोई गाँठ ढीली नहीं होने देना चाहते। अब चूंकि साफ़-साफ़ ऐसा कह नहीं सकते, इसलिए सारे सवर्णों की एकता के लिए झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। मंडल कांड का द्वितीय अध्याय शुरू करना चाह रहे हैं। अभी हवा का रुझान देखना है, अभी पांच राज्यों में चुनाव चुनाव खेलना है, इसलिए पिछलग्गुओं से हुआं-हुआं करवाई जा रही है। माहौल बनते ही, चुनाव निबटते ही, नेकरिया पलटन की भरम मंडली खुद कूदेगी।

यही है हिन्दू राष्ट्र का असली चेहरा

जिसे पहले हिन्दू धर्म बताया गया, चार-पांच बरस से उसे सनातन कहा जाने लगा, अब वह अपने सारे समानार्थी शब्दों के झीने वस्त्र उतारकर सीधे उस मूल धातु शब्द पर आ रहा है, जिसे इतिहास में हमेशा ब्राह्मण धर्म के नाम से जाना गया। वर्णाश्रम पर आधारित, स्वभाव से ही अवैज्ञानिक. अलोकतांत्रिक, अमानवीय ब्राह्मण धर्म, जिसे उसके सही नाम से पुकारने में उसके आराधकों को लज्जा आती है। वह शासन प्रणाली, जिसने सदियों तक इस देश के विकास को रोके रखा। सभी ब्राहण उपनाम धारियों का नहीं, सिर्फ उनका जिन्हें संघ के गोलवलकर और इन दिनों संग के रामभद्राचार्य ब्राह्मण मानते हैं।

यह वह वर्चस्वकारी, समाज विरोधी धारणा है, जिसने हर नए, हर सुधार, हर बदलाव का विरोध किया। चर्च ने गैलिलियो से, भले 359 साल बाद सही, माफ़ी तो मांगी। लेकिन यह वह अधर्म है, जिसने आज तक शम्बूक, एकलव्य, सावित्री फुले, यहाँ तक कि सीता और द्रौपदी, गार्गी और मैत्रेयी से भी 'सॉरी' नहीं बोला।

इसे छुपाया भी नहीं जा रहा। जिस अफसर अलंकार अग्निहोत्री को यह कुनबा सर पर धारे घूम रहा है, यूजीसी के नए नियम उसके इस्तीफे की पहली नहीं, दूसरी वजह हैं। खुद उसने पहली वजह शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान के उदाहरण के साथ योगी राज में ब्राह्मणों का अपमान बतायी है। सरकारों का रुख और रवैया भी इसी की ताईद करता है। गणतंत्र दिवस के दिन यह अधिकारी सार्वजनिक रूप से संविधान की मूल भावना और स्थापनाओं की धज्जियां उड़ाता है : सरकार उसकी मान-मनौवल करने के लिए कलेक्टर सहित चार-पांच बड़े अधिकारियों को उसके घर भेजती है। सार्वजनिक रूप से दिया गया उसका इस्तीफा भी मंजूर नहीं किया जाता। वहीं इसी दिन महाराष्ट्र के नाशिक में एक मंत्री द्वारा गणतंत्र दिवस के अपने भाषण में डॉ. आंबेडकर का नाम तक न लिए जाने पर विरोध दर्ज कराने वाली फारेस्ट गार्ड माधवी जाधव को पुलिस द्वारा तत्काल हिरासत में ले लिया जाता है।

खेल की असलियत और जन की भूमिका

जिन्हें सरकारी नौकरियाँ खत्म करते समय, पब्लिक सेक्टर बंद करते समय, रोजगार की सारी संभावनाओं का गला घोंटते समय, ट्रम्प की घुड़की और कारपोरेट की भभकी में देश की खेती-किसानी को चौपट करते समय, तीन कृषि क़ानून और चार श्रम संहिताएँ बनाकर देश की मेहनतकश जनता को गुलाम बनाने का अपराध करते समय सवर्ण युवाओं की चिंता नहीं हुई, वे संविधान-सम्मत नियमों को बनाए जाते समय सवर्ण छात्रों को डेथ वारंट का झुनझुना दिखाकर खुद अपनी ही बर्बादी की यात्रा में ढोल मंजीरे बजाने के लिए बुला रहे हैं।

उच्च शिक्षा का कारपोरेटीकरण और बाजारूकरण करने वाले, शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता और राज्यों के अधिकारों को कमजोर करने वाले, कथित भारतीय ज्ञान प्रणाली के नाम पर शिक्षा का हिंदुत्वीकरण करने वाली कथित नई शिक्षा नीति और उसे आगे बढ़ाने वाले प्रस्तावित, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 पर जिनका बोल तक नहीं फूटा, वे यूजीसी के नए नियमों को लेकर बदहवास हुए जा रहे है? क्यों?

इसलिए कि 'महान प्राचीन हिन्दू समाज' की बहाली के नाम पर बनाए जाने वाले कथित हिन्दू राष्ट्र का एजेंडा अब अपने असली ठीये पर पहुँचने की हड़बड़ी में है। उसे बहुत जल्दी है। अब यह भारत को तय करना है कि उसे कहाँ जाना है। मुक्तिबोध के शब्दों में कहें, तो तय करना होगा कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? वरना दिनकर जी कह ही गए हैं कि तटस्थ रहना भी अपराध में शुमार होता है।

लेखक 'लोकजतन' के संपादक और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं।

स्त्री का मूल्य अब कोख नहीं, उसके विचार हैं नई पीढ़ी, नया साहस, मातृत्व का नया विमर्श

कृति आरके जैन

जिस दिन कोई युवती यह कह देती है—"मुझे माँ नहीं बनना", उस दिन समाज की सबसे सुरक्षित मान्यता असुरक्षित हो जाती है। यह वाक्य भावनाओं से नहीं, चेतना से पैदा होता है, इसलिए डराता है। यह उस अदृश्य स्क्रिप्ट को जला देता है, जिसमें स्त्री का भविष्य जन्म के साथ ही लिख दिया गया था। लोग चौंकते इसलिए हैं कि पहली बार स्त्री अपनी देह को विरासत नहीं, निर्णय का क्षेत्र घोषित करती है। यह इंकार न तो आक्रामक है, न ही विद्रोही दिखता है, फिर भी यह सबसे गहरी बगावत है क्योंकि यह बिना चीखे, बिना अनुमति माँगे, व्यवस्था के केंद्र में सीधा सवाल खड़ा कर देता है।

सदियों से स्त्री को यह पाठ पढ़ाया गया कि उसका अस्तित्व स्वयं के लिए नहीं, दूसरों की जरूरतों के लिए है—पहले परिवार, फिर पति और अंततः संतान के लिए। मातृत्व को इतना ऊँचा उठाया गया कि उसके भार तले स्त्री की पहचान दबकर रह गई। उसे सिखाया गया कि त्याग उसका सौंदर्य है और सहनशीलता उसका स्वभाव। आज की बेटियाँ इसी शिक्षा को जाँच की निगाह से देख रही हैं। वे पूछ रही हैं—यदि त्याग ही स्त्री की नियति है, तो पुरुष की नियति क्या है? यह प्रश्न किसी एक भूमिका पर नहीं, बल्कि पूरी सामाजिक संरचना पर सीधा प्रहार करता है।

शिक्षा ने इन सवालों को भाषा दी है और चेतना ने उन्हें निडरता। आज की युवा महिलाएँ जीवन को केवल निभाने की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जीने का अधिकार मानती हैं। वे जानती हैं कि मातृत्व भावनाओं का उत्सव भी हो सकता है, लेकिन प्रायः यह अदृश्य श्रम, लगातार थकान और स्वयं से मिटते जाने की प्रक्रिया भी बन जाता है। वे साफ देखती हैं कि बराबरी के दावे संकट के समय सबसे पहले टूटते हैं। जब मातृत्व की कीमत एकतरफा वसूली जाए, तब उससे इंकार करना स्वार्थ नहीं, बल्कि न्याय की स्पष्ट माँग बन जाता है।

आर्थिक यथार्थ इस निर्णय को और ठोस बना देता है। आज का समय महँगा है, अनिश्चित है और अस्थिर है। एक बच्चे का पालन-पोषण अब केवल प्रेम का विस्तार नहीं, बल्कि वर्षों तक चलने वाला आर्थिक दबाव है। नौकरी छोड़ना, अवसर खोना और निर्भरता स्वीकार करना अब भी ज़्यादातर स्त्रियों के हिस्से आता है। युवा महिलाएँ इस गणित को भावनाओं से नहीं, विवेक से हल करती हैं। वे पूछती हैं—क्या मातृत्व का अर्थ आर्थिक असुरक्षा को स्थायी बनाना होना चाहिए? यह सवाल सुंदर नहीं, लेकिन सच है।

मानसिक स्वास्थ्य वह सच है जिसे सबसे लंबे समय तक दबाया गया। माँ को देवी बनाकर उसकी थकान को अदृश्य कर दिया गया। प्रसवोत्तर अवसाद, अकेलापन और हर हाल में "अच्छी माँ" बने रहने का दबाव वर्षों तक मौन में छिपा रहा। नई पीढ़ी की महिलाएँ इस चुप्पी को तोड़ रही हैं। वे स्वीकार कर रही हैं कि हर स्त्री माँ बनने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होती, और यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस है। वे साफ कहती हैं—यदि मातृत्व के नाम पर स्वयं को खोना पड़े, तो स्वयं को बचाना अधिक ज़रूरी है।

पर्यावरणीय चेतना ने इस बहस को निजी दायरे से बाहर निकालकर वैश्विक धरातल पर ला खड़ा किया है। जलवायु संकट, सिकुड़ते संसाधन और भविष्य की भयावह अनिश्चितता के बीच अनेक युवतियाँ यह कठोर प्रश्न उठा रही हैं कि क्या ऐसे संसार में बच्चे को जन्म देना नैतिक रूप से उचित है। उनके लिए माँ न बनना जिम्मेदारी से भागना नहीं, बल्कि उसे गंभीरता से लेना है। वे मातृत्व को केवल व्यक्तिगत सुख नहीं, बल्कि पृथ्वी पर पड़ने वाले उसके प्रभाव के संदर्भ में देखती हैं। यह दृष्टि भावनाओं से नहीं, विवेक से उपजी है, और शायद इसी कारण यह पारंपरिक सोच को असहज करती है।

समाज की प्रतिक्रिया आज भी कटु और दंडात्मक है। कहा जाता है कि वे अधूरी हैं, स्वार्थी हैं, या भविष्य में पछताएँगी। लेकिन ये आरोप स्त्री के नहीं, समाज के भय को उजागर करते हैं—उस भय को, जो उसे स्त्री की स्वायत्तता से लगता है। नई पीढ़ी की महिलाएँ अब स्पष्टीकरण नहीं देतीं। वे जानती हैं कि जीवन की पूर्णता किसी एक भूमिका में कैद नहीं होती। वे रिश्तों, सृजन, सामाजिक सहभागिता और आत्मसम्मान में भी जीवन का अर्थ तलाशती हैं। उनका आत्मविश्वास इसलिए चुभता है, क्योंकि यह नियंत्रण और आदेश की भाषा को सिरे से नकार देता है।

यह विमर्श मातृत्व के विरोध में नहीं, बल्कि उसके एकाधिकार के विरुद्ध खड़ा है। नई पीढ़ी माँ बनने की संभावना को नकार नहीं रही, बल्कि उसे अनिवार्यता से मुक्त कर रही है। वे साफ कहती हैं—माँ बनना तभी अर्थपूर्ण है जब वह इच्छा से जन्म ले, भय या दबाव से नहीं। यह सोच स्त्री को पहली बार सम्पूर्ण मनुष्य के रूप में स्वीकार करती है, न कि केवल भविष्य की जननी के रूप में। जब चयन स्वतंत्र होगा, तभी मातृत्व भी सच्चे अर्थों में सम्मान का पात्र बनेगा।

"बेटियाँ जो माँ नहीं बनना चाहतीं" कोई क्षणिक फैशन नहीं, बल्कि चेतना की नई क्रांति है। यह बदलाव असहज है, क्योंकि यह उन गहरी और पक्की मान्यताओं को चुनौती देता है जिनमें समाज ने सदियों तक स्त्री को बाँध रखा था। इतिहास सिखाता है कि हर बड़ा परिवर्तन पहले बेचैनी और अव्यवस्था लाता है। आज की बेटियाँ केवल इतना पूछ रही हैं—क्या स्त्री का मूल्य उसकी कोख से तय होगा, या उसके विचार, उसकी चेतना और उसकी स्वतंत्रता से? इसका जवाब समय ही देगा। संभव है कि आने वाला समय अधिक ईमानदार, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक मानवतावादी हो—जहाँ मातृत्व सम्मानित विकल्प हो, आदेश या बाध्यता नहीं।

कृति आरके जैन

राज्यसभा चुनाव शुरू हो गए हैं, बीजेडी का असली चेहरा सामने आएगा

मनोरंजन शासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : ऐसे में जब राजनीतिक गलियारे में अनसुलझे सवालों की उलझन घूम रही है, माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेडी का असली चेहरा सामने आएगा। सत्ता से हटने के बाद बीजेडी का यह पहला राज्यसभा चुनाव है। जिस चुनाव में पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। इससे पहले बीजेडी के दो राज्यसभा सांसदों सुजीत कुमार और ममता महंत के इस्तीफे के बाद उम्मीदवार उतारने का मौका नहीं मिला था। ऐसे में पार्टी के पास जीतने के लिए नंबर क्यों नहीं थे? हालांकि, इस बार पार्टी के पास जीतने के लिए नंबर हैं। इसी तरह, अगर दो बड़े विरोधी एक साथ आते हैं, तो वह सत्ताधारी बीजेपी को चौंकाते हुए एक और सीट हासिल कर सकती है। लेकिन बीजेडी का राज्यसभा का तरीका अभी साफ नहीं है। विधानसभा के नंबर कहते हैं कि बीजेपी को दो और बीजेडी को एक सीट मिलेगी। मुंडा मेथड के मुताबिक, जीतने के लिए उम्मीदवार को पहली पसंद के 30 वोट चाहिए। बीजेडी के पास अभी 50 MLA हैं। अगर हम दो सस्पेंडेड MLA को भी जोड़ लें, तो यह संख्या 48 हो जाएगी। इसलिए, पार्टी के एक सीट जीतने के बाद 18 बचेंगे। वहीं, कांग्रेस के पास भी 14 MLA हैं। अगर दोनों पार्टियां साथ आती हैं, तो वे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी दे सकती हैं। अगर BJD और कांग्रेस चौथे कैंडिडेट के तौर पर आर्ट, कल्चर वगैरह के फील्ड के किसी जाने-माने व्यक्ति को मैदान में उतारती हैं, तो BJP भी कैंडिडेट न उतारकर उन्हें सपोर्ट करने के लिए मजबूर हो सकती है। नहीं तो, BJP और BJD मिलकर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को उतार सकती हैं। बदले हुए हालात में कांग्रेस से बातचीत हो सकती है। अगर ऐसा होता है, तो तीनों पार्टियां विन-विन सिचुएशन में हो सकती हैं। इन सबके बीच, PCC प्रेसिडेंट भक्त चरण दास ने ऐलान किया था कि कांग्रेस पहले अपना कैंडिडेट उतारेगी। अगर ऐसा होता, तो BJP का तीसरा कैंडिडेट आसानी से जीत सकता था। लेकिन अब भक्त को होश आ गया है। भक्त ने नवीन पटनायक से बातचीत के लिए समय मांगा है। भक्त चाहते हैं कि दोनों पार्टियां मिलकर एक अच्छा लीडर मैदान में उतारें। लेकिन क्या नवीन उन्हें समय देंगे? अगर वह समय देते हैं, तो क्या वह भक्त के प्रस्ताव पर सहमत होंगे? बेशक, इसका जवाब तो समय ही दे सकता है। अगर ऐसा होता है, तो संदेश यह जाएगा कि बीजू जनता दल ने भाजपा के खिलाफ फूट डालने वाले तरीके से युद्ध का बिगुल बजा दिया है। वैसे भी, राज्य में कांग्रेस की भी 32 सीटों पर ताकत है। अगर बीजेडी और कांग्रेस के बीच समझौता होता है, तो यह दोनों विपक्षी पार्टियों के लिए भी अच्छा होगा। वैसे भी, कांग्रेस को रोकने के लिए भाजपा को बीजेडी से दोस्ती करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन भाजपा ने अपने रास्ते में बीजेडी को खत्म करने की योजना बनाई है। बीजेडी से दो राज्यसभा सांसदों को अपनी पार्टी में खींचने के बाद भी पार्टी गलियारों में चर्चा चल रही है, जो नवीन को भाजपा पसंद नहीं है। पार्टी के कई नेता भाजपा को रोकने के लिए बीजेडी और कांग्रेस के बीच समझौता चाहते हैं। हालांकि, पांडियन इससे सहमत नहीं हैं। बीजेडी के एक बड़े नेता ने कहा है कि वह भाजपा के साथ समझौता चाहते हैं। 2024 में पांडियन की ऐसी ही रणनीति ने पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया है। अगर आने वाले दिनों में नवीन BJP का साथ नहीं पाते हैं, तो यह सोचना बेवकूफी होगी कि BJD और मज़बूत हो जाएगी। देखते हैं कि नवीन राज्यसभा चुनाव में फ़ैसले लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देते हैं।

यूजीसी के नए समानता विनियम 2026:- सामाजिक न्याय बनाम संवैधानिक संतुलन -एक समग्र, संवैधानिक और अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण

यदि झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान नहीं जोड़ा गया, तो यह नियम सामाजिक न्याय के बजाय सामाजिक विभाजन का कारण बन सकते हैं?

सामाजिक न्याय के नाम पर बनाए जाने वाले कानूनों नियमों में संविधान के अनुच्छेद 21 तथा 14 (समानता का अधिकार) और नेचुरल जस्टिस (प्राकृतिक न्याय) की मूल भावना का पालन करना जरूरी –एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर दुनियाँ के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में दिनांक 28 जनवरी 2026 को संसद के बजट सत्र के प्रथम दिन माननीय राष्ट्रपति ने संसद के सभी सदनों को संबोधित करते हुए कहा 2014 की शुरुआत में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं केवल 25 करोड़ नागरिकों तक ही पहुंच पा रही थीं। मेरी सरकार के निरंतर प्रयासों से आज लगभग 95 करोड़ भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है,तो दूसरी ओर शिक्षा क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा के लिए सवर्णो का आंदोलन छिड़ाहुआहै।हम जानते हैं कि वैश्विक स्तरपर भारत का उच्च शिक्षा तंत्र केवल ज्ञान का केंद्र नहीं है,बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों का संवाहक भीहै।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) इस पूरे ढांचे का नियामक स्तंभ है,जिसके नियम देश के लाखों छात्रों, शिक्षकों और प्रशासकों के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी द्वारा अधिसूचित और 15 जनवरी से प्रभावी किए गए उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना विनियम, 2026 इसी परंपरा का हिस्सा हैं। इन नियमों का घोषित उद्देश्य एससी,एसटी और अब पहली बार ओबीसी समुदायों के छात्रों व शिक्षकों को जातिगत भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करना है। उद्देश्य निस्संदेह संवैधानिक है,किंतु जिस प्रकार से दो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं,मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि उन्होंने पूरे देश में गंभीर संवैधानिक, कानूनी और नैतिक बहस को जन्म दे दिया है।इन नियमों के लागू होते ही बिहार,उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश,राजस्थान सहित कई राज्यों में सवर्ण समाज के संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विरोध का कारण आरक्षण नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया में असमानता और झूठी शिकायतों पर दंड के प्रावधान का पूर्ण अभाव है।आलोचकों का कहना है कि ये नियम सामाजिक न्याय के नाम पर संविधान के अनुच्छेद 21 तथा 14 (समानता का अधिकार) और नेचुरल जस्टिस (प्राकृतिक न्याय) की मूल भावना को कमजोर करते हैं।

साथियों बात अगर हम यूजीसी का अधिकार क्षेत्र और उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी को समझने की करें तो यूजीसी जिसे अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहा जाता है,देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था का केंद्रीय नियामक निकाय है। 12वीं के बाद स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी या शोध, हर स्तर पर छात्र-छात्राएं किसी न किसी रूप में यूजीसी के नियमों के अधीन आते हैं। यूजीसी का दायित्व केवल फंडिंग या मान्यता देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि शिक्षा प्रणाली संवैधानिक मूल्यों, न्याय, समानता और मानव गरिमा के अनुरूप संचालित हो।इसी दायित्व के तहत पहले एससी-एसटी अत्याचार निवारण कानून,आंतरिक शिकायत समितियां और समान अवसर केंद्र बनाए गए। अब 2026 के विनियमों में दो बड़े संशोधन किए गए हैं,पहला ओबीसी समुदाय को भी औपचारिक रूप से जातिगत भेदभाव के दायरे में शामिल किया गया है,यह एक

ऐतिहासिक कदम है परंतु दूसरा झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत पाए जाने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी,यह इसके क्रियान्वयन में संतुलन की कमी गंभीर चिंता का विषय बन गई है।बस इसी बात पर सारे देश में स्वर्ण संगठन आंदोलन कर रहे हैं और हंगामा आगे और बढ़ाने की संभावना ज़ोरो से व्यक्ति के जारी है।

साथियों बात अगर हम इन संशोधनों को गहराई से समझने की करें तो पहला संशोधित प्रावधानः ओबीसी को जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल करना, यूजीसी द्वारा किया गया पहला बड़ा संशोधन यह है कि अब अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्र और शिक्षक भी उसी तरह जातिगत भेदभाव के संरक्षण दायरे में आ गए हैं,जैसे एससी और एसटी समुदाय पहले से थे। यह निर्णय सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओबीसी समुदाय की बड़ी आबादी आज भी शिक्षा संस्थानों में सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष भेदभाव का सामना करती है।हालांकि, आलोचना यह नहीं है कि ओबीसी को सुरक्षा क्यों दी गई, बल्कि यह है कि सुरक्षा का दायरा एकतरफा बना दिया गया है। यदि किसी सामान्य (जनरल कैटेगरी) वर्ग के छात्र या शिक्षक पर ओबीसी, एससी या एसटी से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया जाता है,तो उस पर कठोर संस्थागत प्रक्रिया शुरू हो जाती है जांच, निलंबन, प्रशासनिक कार्रवाई और सामाजिक बदनामी,ये सभी उस व्यक्ति के जीवन को अपूरणीय क्षति पहुँचा सकते हैं।समस्या तब और गहरी हो जाती है जब अंततः शिकायत झूठी सिद्ध हो जाए। नियमों में ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। यह एकतरफा संरचना न केवल असंतुलित है, बल्कि संविधान की आत्मा के विरुद्ध भी है। दूसरा संशोधित प्रावधानः-झूठी शिकायतों पर दंड का पूर्ण अभाव, यूजीसी विनियम 2026 का दूसरा और सबसे विवादास्पद संशोधन यह है कि झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत पाए जाने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। पहले के नियमों और कई विश्वविद्यालयीय कोड ऑफ कंडक्ट में कम से कम अनुशासनात्मक कार्रवाई का विकल्प खुला रहता था। अब उसे पूरी तरह हटा दिया गया है। यह प्रावधान आलोचकों के अनुसार कानूनी दुरुपयोग को संस्थागत वैधता देता है। किसी भी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के खिलाफ यदि जातिगत भेदभाव का आरोप लगता है, तो वह दोषी सिद्ध होने से पहले ही सामाजिक रूप से अपराधी मान लिया जाता है। उसकी नौकरी, शोध, पदोन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पर लग जाता है। लेकिन यदि वर्षों बाद वह निर्दोष साबित होता है, तब भी न्याय अधूरा रह जाता है, क्योंकि जिसने झूठा आरोप लगाया, उस पर कोई जवाबदेही नहीं होती।

साथियों बात अगर हम नेचुरल जस्टिस और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन इसको समझने की करें तो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। नेचुरल जस्टिस का मूल सिद्धांत है,कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दोषी नहीं ठहराया जाएगा और दोष सिद्ध होने पर ही दंड मिलेगा। यूजीसी के नए विनियम इन दोनों सिद्धांतों को कमजोर करते प्रतीत होते हैं।जब एक वर्ग को पूर्ण संरक्षण और दूसरे वर्ग को केवल दंड का सामना करना पड़े, तो यह समानता नहीं, बल्कि संरक्षित असमानता बन जाती है। न्यायपालिका ने भी कई फैसलों में कहा है कि सामाजिक न्याय का अर्थ प्रतिशोध नहीं, बल्कि संतुलन है। यदि झूठी शिकायतों पर कोई अंकुश नहीं होगा,तो यह व्यवस्था अंततः उसी सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुँचाएगी, जिसे बचाने के लिए यह नियम बनाए गएहैं।

साथियों बात अगर हम संशोधन की स्थिति के बाद शिक्षा के माहौल और सामाजिक ध्रुवीकरण को समझने की करें तो,इन संशोधित नियमों का सबसे बड़ा प्रभाव विश्वविद्यालय परिसरों के शैक्षणिक वातावरण पर पड़ेगा। शिक्षक और प्रशासक निर्णय लेने से डरेंगे, छात्र खुलकर संवाद करने से हिचकेंगे और हर असहमति को जातिगत चश्मे से देखा जाने लगेगा। इससे विश्वास का संकट पैदा होगा, जो किसी भी ज्ञान- आधारित संस्थान के लिए घातक है।साथ ही, सवर्ण और आरक्षित वर्गों के बीच पहले से मौजूद सामाजिक तनाव और गहरा हो सकता है। यदि न्याय एकतरफा प्रतीत होगा,तो प्रतिक्रिया भी सामाजिक स्तर पर असंतुलित होगी। यह स्थिति अंततः उसी सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कमजोर कर देगी, जिसके लिए ये नियम बनाए गए हैं।

रांची पुलिस अपने अनगड़ा थाना क्षेत्र से तीन एकड़ अफीम खेती को किया नष्ट

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची , अफीम खेती के लिए फेमस हो चले इलाको में रांची, खूंटी , चाईबासा में पुलिस ने गतवर्वष एंडी चोटी एक कर रोक लगाने का तब प्रयत्न किया जब इसकी जानकारी देश के अनेकों जगह पर हो चली थी ।परन्तु इस वर्ष अरगोड़ा मे पुनः इसकी झलक देखने को मिला है ।जिस पर आज कार्रवाई हुई है ।

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची एवं पुलिस अधीक्षक , ग्रामीण राँची के आदेशानुसार एस पी सिल्ली राँची के नेतृत्व में अवैध रूप से लगे अफिम की खेती के विरूद्ध अभियान सह छापामारी चलाया गया। अभियान सह छापामारी के दौरान पाया गया कि अनगड़ा थाना अंतर्गत ग्राम-बानपुर, जहेराटाली, बिलासजारा, मीनाजारा टोली आदि के वन भमि एवं रैयती भूमि में करीब 03 एकड़ में लगे अफीम (पोस्ता) की खेती किया गया है।जिसे पर्याप्त बल एवं ट्रेक्टर के सहयोग से विनष्ट किया गया ।इस संबंध में अनगड़ा थाना सनहा संख्या- 16/26, दिनांक 28.01.2026 अंकित किया गया। इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जमशेदपुर से लेकर बिहार तक आधे दर्जन जगह पर छापा

बाबा राइस मिल पर टैक्स चोरी , संदिग्ध वित्तीय लेनदेन हेतु अहले सुबह आरंभ हुई छापेमारी

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची , जमशेदपुर समेत झारखंड के कई जिले में एक साथ छापामारी की है आयकर विभाग ने . यह छापामारी उक्त आयकर विभाग के अनुसंधान शाखा ने की है. बाबा राइस मिल समूह से जुड़े लोगों के यहां यह छापामारी अहले सुबह शुरू की गयी. करीब एक दर्जन से अधिक स्थानों पर यह छापामारी चल रही है. जमशेदपुर के एक कारोबारी के सीएच एरिया स्थित आवास में छापामारी की है. बताया जाता है कि वे लोग चावल का कारोबार करते है. जमशेदपुर के अलावा हजारीबाग और बिहार के भी कुछ जिलों में यह छापामारी की जा रही है. बताया जाता है कि बाबा राइस मिल के कारोबारियों द्वारा आय से अधिक संपत्ति रखने और आय को छिपाने का आरोप है. कई सारे दस्तावेज भी जब्त किये गये है. कारोबारी से जुड़े सारे लोगों के आवास, कार्यालय और अन्य ठिकानों को खंगाला जा रहा है. बिहार के औरंगाबाद में भी यह छापामारी की जार ही है. महाराजगंज रोड स्थित धान कारोबारी विश्वजीत जायसवाल के आवास पर यह छापामारी की गयी है. राइस मिल के संचालक नितेश कुमार भी आयकर विभाग के रडार पर है.

महानदी से रेत के बांधों को तुरंत हटाकर महानदी को बचाने की मांग

मनोरंजन शासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : महानदी रिवर रेस्क्यू मूवमेंट के कन्वीनर सुदर्शन दास ने कलमा बैराज के नीचे बने सैंड डैम को तुरंत हटाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ ने महानदी पर बने कलमा बैराज के सभी गेट बंद कर दिए हैं, वहीं बैराज के निचले सिरे पर एक और गैर-कानूनी सैंड डैम बना दिया गया है। महानदी रिवर रेस्क्यू मूवमेंट ने इसे हटाने की मांग की है।इससे पहले संगठन इसे गिराने के लिए वहां पहुंचा था। लेकिन कल रेवेन्यू मिनिस्टर की सलाह के बाद महानदी रिवर रेस्क्यू मूवमेंट इससे हट गया है और इसे हटाने की मांग की है। आज रेत के टीले के निर्माण के विरोध में महानदी रिवर रेस्क्यू के ऑर्गनाइज़र सुदर्शन दास का एक डेलीगेशन छत्तीसगढ़ में कलमा बैराज के नीचे मौजूद रेत के टीले, ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचा और महानदी के लिए इंसाफ की मांग की। आंदोलन कमिटी के प्रेसिडेंट और दूसरे वर्कर्स सुबह ओडिशा बॉर्डर के पास कनकटोरा में एक साथ मिले और कलमा बैराज की तरफ मार्च किया। कल रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा कि महानदी विवाद को सुलझाने के लिए एक स्पेशल कमिटी है। उन्होंने पूछा कि हम इस पर राज्यों के बीच क्यों लड़ें। सुदर्शन ने कहा कि सलाह के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए, हम कानून के दायरे में काम करने आए हैं। सुदर्शन ने कहा कि हमने एक लेटर के ज़रिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया है और उस रेत के टीले को हटाने की मांग की है। इस बीच, कांग्रेस ने कहा है कि महानदी के रेत के टीले को गिरा देना चाहिए। डबल इंजन सरकार महानदी की समस्या का समाधान कर रही है। ओडिशा को अब और धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। ओडिशा को स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए।

ममता बनर्जी का ईडी और सीबीआई से टकराना कहीं भारी तो नहीं पड़ेगा ?

रामस्वरूप रावतसरे

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी करीब 35 साल पुराने वामपंथी किले को ध्वस्त करने में 2011 में सफल हो गईं थी. उसके बाद से उनका रथ कभी नहीं रुका। भाजपा की लाख कोशिशों के बावजूद ममता ने तीसरी बार 2021 में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बना ली। इस साल 2026 में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 6 महीने के अंदर कई दौरे हो चुके हैं। चुनाव ज्यों-ज्यों करीब आता जाएगा, उनके दौरों का सिलसिला भी तेज होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते जेपी नड्डा ने बंगाल का हाल ही में दौरा किया था। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन ने भी इस साल होने वाले सभी 5 राज्यों के चुनावों में भाजपा का परचम लहराने का संकल्प लिया है। नतीजे क्या होंगे, यह तो जनता तय करेगी लेकिन ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसियों से पंगा लेकर मुश्किल में पड़ती नजर आ रही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपों पर उनके प्रतिकूल कोई फैसला देता है तो ममता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

सीबीआई और ईडी से मुख्यमंत्रियों के टकराव का दृश्य जनता देख चुकी हैं। बिहार का सीएम रहते लालू प्रसाद यादव पर जब पशुपालन घोटाले के आरोप लगे और सीबीआई ने जांच शुरू की तो राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के समर्थकों ने खूब हुड़दंग मचाया। हालत यह थी कि लालू यादव को गिरफ्तार करने के लिए बात सेना बुलाने तक पहुंच गई थी। आरजेडी का कोई पैंतरा काम नहीं आया और अंततः 30 जुलाई 1997 को लालू यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में मुकदमा चला और उन्हें सजा भी हुई। सीबीआई से उलझने के बावजूद लालू बच नहीं पाए। आजादी के बाद सेंट्रल एजेंसी द्वारा मुख्यमंत्री पद पर रहे किसी व्यक्ति के गिरफ्तार होने की यह पहली घटना थी। उन्होंने समझदारी नहीं दिखाई होती तो सीएम रहते ही वे गिरफ्तार हो जाते। जब उन्हें गिरफ्तारी की आशंका प्रबल होती दिखी तो अरेस्ट होने से 2 दिन पहले ही 28 जुलाई 1997 को ही उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया।

ऐसे ही दिल्ली का सीएम रहते अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्रीय एजेंसी ईडी से पंगा लिया। दिल्ली शराब नीति में घपले के आरोप में ईडी की ओर से पछताछ के लिए उन्हें लगातार 9 नोटिस भेजे गए। उन्होंने उसका न कोई जवाब दिया और न पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष हाजिर ही हुए। आखिरकार ईडी ने उनके आवास पर छापा मारा और 21 मार्च 2024 को मनी लांड्रिंग मामले में पहली बार उन्हें गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री पद पर रहते केजरीवाल की यह पहली गिरफ्तारी थी। हालांकि इस मामले में उन्हें जमानत जल्द ही मिल गई लेकिन उन्हें जेल से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। दूसरी बार उन्हें 26 जून 2024 को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार कर लिया। अगर वे लालू यादव की तरह समझदारी दिखाते तो सीएम के रूप में उनके गिरफ्तार होने का रिकार्ड नहीं बनता। वे भी अपनी पत्नी को सीएम की कुर्सी पर बिठा सकते थे। केजरीवाल ने दूसरा रिकार्ड यह बनाया कि वे करीब 6 महीने तक जेल से ही सरकार चलाते रहे। बाद में इस पर कोर्ट से लेकर मीडिया तक हंगामा मचा तो उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी, यानी ईडी से पंगा लेना अरविंद केजरीवाल को महंगा पड़ा।

इसी प्रकार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप लगा। मामला मनी लांड्रिंग का बना तो ईडी ने जांच के लिए उन्हें कई बार नोटिस भेजा। इस मामले को हेमंत सोरेन ने हल्के में लिया। वे ईडी से राहत की उम्मीद में हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाते रहे। 10 नोटिस के बावजूद जब हेमंत सोरेन ने ईडी को कोई जवाब नहीं भेजा तो आखिरकार ईडी ने उन्हें 31 जनवरी 2024 को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया। जमीन घोटाले का मामला अभी अदालत में है, लेकिन जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने एक ही टर्म में दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने का रिकार्ड बना दिया। बहरहाल, हेमंत सोरेन भी ईडी से पंगा लेकर बच नहीं पाए।

ममता बनर्जी ने न सिर्फ ईडी के खिलाफ मोर्चा खोला है बल्कि वे पहले सीबीआई से भी टकरा चुकी हैं। केंद्रीय एजेंसियों से उनका टकराव कई बार अदालतों तक भी पहुंचा है। ममता का आरोप है कि विपक्ष को परेशान करने के लिए बेवजह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। हालांकि बंगाल में कई मंत्री और नेताओं को सेंट्रल एजेंसियों ने भ्रष्टाचार के आरोपों में न सिर्फ गिरफ्तार किया, बल्कि छापों के दौरान उनके और करीबियों के घरों से भारी नकदी और अकूत संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद-जब्त किए। इसी महीने (जनवरी 2026) में ईडी ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमिटी (आई-पैक) के दफ्तर समेत कई अन्य ठिकानों पर छापेमारी की।

राजनीतिक दलों के लिए आई-पैक चुनावी रणनीति बनाती है। 2019 से आई-पैक टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम कर रही है। ईडी का कहना है कि कोयला घोटाले से जुड़े मामले में आई-पैक के दफ्तर पर छापेमारी की गई। उस दौरान ममता बनर्जी पुलिस के बड़े अफसरों के साथ वहां पहुंच गईं। ईडी के काम में बाधा डाली। ईडी टीम के हाथ से उन्होंने कुछ फाइलें छीन लीं। कंपनी के मालिक प्रतीक जैन का मोबाइल भी वे अपने साथ ले गईं। दोनों ओर से अपनी-अपनी दलीलों के साथ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।

सरायकेला एस पी लुनायत ने स्वच्छ निकाय चुनाव मद्देनजर कराया 'कचरा' साफ

नौ वांटेड व चारसिटेड अपराधकर्मी धराये

सरायकेला: आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर एस पी मुकेश लुनायत ने अपराध नियंत्रण और निगरानी को लेकर विशेष अभियान चलाया. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विगत रात्रि विभिन्न कांडों में वांछित अपराधियों और वारंटियों की गिरफ्तारी तथा आरोपपत्रित अपराधकर्मियों के सत्यापन के लिए जिलेभर में छापेमारी की गई.

अभियान के दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला और चांडिल के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारी और अंचल निरीक्षकों की टीमों का गठन किया गया. विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए कुल नौ वांछित अपराधियों और वारंटियों को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, हत्या, उत्पाद अधिनियम, संपत्तिमूलक कांड और नक्सल कांड से जुड़े आरोपपत्रित अपराधियों का भौतिक सत्यापन भी किया गया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया है और आगे भी जारी रहेगा.

राजेश सरदार, निवासी सालडीह बस्ती डोमपाड़ा थाना गम्हरिया, गम्हरिया थाना कांड संख्या 132/22 धारा 461/379/411/413 भादवि में गिरफ्तार किया गया. राहुल कुमार साह, निवासी हरि ओमनगर आदित्यपुर, आदित्यपुर थाना कांड संख्या 163/2013 धारा 414/34 भादवि एवं एमएमडीआर एक्ट, जीआर 700/2013 में वारंटी के रूप में गिरफ्तार किया गया. राजा प्रमाणिक, निवासी आदित्यपुर-01, शिकायत वाद संख्या 2070/215 में न्यायालय के वारंटी के रूप में गिरफ्तार किया गया. मुख्तर हुसैन, निवासी मुस्लिम बस्ती आदित्यपुर, आदित्यपुर थाना कांड संख्या 218/2018 एनडीपीएस केस धारा 21 (बी) 25 एनडीपीएस एक्ट, जीआर 425/23 में वारंटी के रूप में गिरफ्तार किया गया. सोहन साहु, निवासी इच्छापुर थाना आरआईटी, सीसी संख्या 1064/24 धारा 47 (ए) उत्पाद अधिनियम में गैर जमानतीय वारंटी के रूप में गिरफ्तार किया गया. मो0 अल्तमस, निवासी गौसनगर कपाली थाना चांडिल, जीआर 2078/17 बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 224/17 में गैर जमानतीय वारंटी के रूप में गिरफ्तार किया गया. श्यामलाल कांडयांग, निवासी गोड़ासाई थाना चक्रधरपुर, खरसावां आमदा ओपी कांड संख्या 07/2026 धारा 79/89 बीएनएस में गिरफ्तार किया गया. महमुद आलम, निवासी मुड़िया थाना सरायकेला, जीआर संख्या 144/18 में गैर जमानतीय वारंटी के रूप में गिरफ्तार किया गया. बुधराम सरदार, निवासी झपड़ागुड़ा थाना सरायकेला, जीआर संख्या 777/12 में गैर जमानतीय वारंटी के रूप में गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चुनाव अवधि के दौरान आपराधिक तत्वों पर सख्त नजर रखी जाएगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमित अभियान।

12 साल की उम्र में एसिड अटैक, 6 साल अस्पताल, 36 सर्जरी लेकिन फिर भी हार नहीं मानी।

पिंकी कुंडू

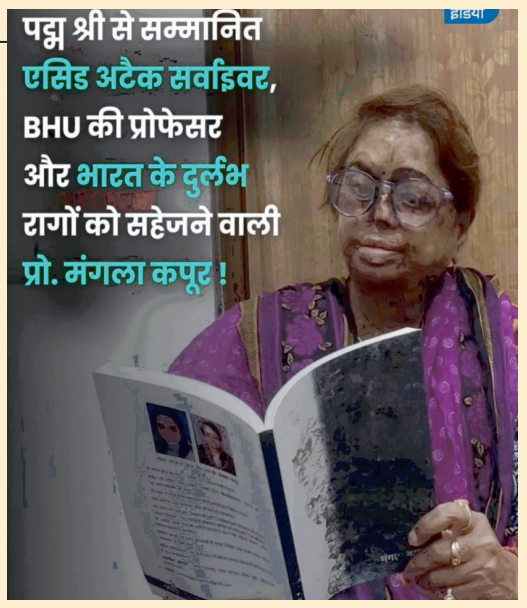

वाराणसी की डॉ. मंगला कपूर की ज़िंदगी संघर्ष की मिसाल है। कम उम्र में हुए एसिड अटैक ने शरीर को गहरी चोट दी, समाज के ताने और आर्थिक तंगी ने रास्ता और मुश्किल बनाया। इलाज के लंबे दौर में वे कई बार टूट भी गईं, लेकिन शिक्षा और संगीत ने उन्हें फिर खड़ा किया।

मंगला कपूर ने BHU से ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन और PhD पूरी की।

विश्वविद्यालय तक पैदल जाना पड़ा, अच्छे कपड़े तक नहीं थे लेकिन सपने बड़े थे।

बाद में वही छात्रा BHU में संगीत की प्रोफेसर बनीं और 30 साल तक सेवा दी (2019 में सेवानिवृत्ति)। ग्वालियर संगीत घराने से जुड़ी मंगला कपूर को संगीत और शिक्षा के क्षेत्र में कई सम्मान मिले। आज भी वे बिना फीस बच्चों को संगीत सिखाती हैं, दिव्यांगों के साथ काम करती हैं और समाज को लौटाने में विश्वास रखती हैं।

संघर्ष, साधना और सेवा इसी यात्रा के लिए डॉ. मंगला कपूर को पद्म श्री 2026 के लिए चुना गया। यह कहानी हौसले की है, उम्मीद की है — और कभी न रुकने की सीख देती है।

संविधान की गरिमा को बनाये रखें: जीत सिंह

ट्रांसपोर्ट नगर तिफरा में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया

देशभक्ति गीतों की गूंज, सांस्कृतिक कार्यक्रम ने समाँ बांधा

सुनील चिंचोलकर

बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ट्रांसपोर्ट नगर तिफरा में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास, गरिमा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ट्रक मालिक संघ, स्पेयर पार्ट्स संघ, मैकेनिक संघ सहित समस्त ट्रक मालिकों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही।

कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुई, जिसके पश्चात देशभक्ति गीतों की मधुर प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को राष्ट्रप्रेम से ओत-प्रोत कर दिया। गीतों की गूंज से ट्रांसपोर्ट नगर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया।

समारोह को संबोधित करते हुए जीत सिंह ने अपने प्रेरक भाषण में गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने संविधान की गरिमा, नागरिक कर्तव्यों तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने का संदेश दिया। उनके

विचारों ने उपस्थित जनसमूह को देश के प्रति अपने दायित्वों का स्मरण कराया।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ईश्वर सिंह, राजू पाज, मनीष चावड़ा, लोगनी, शिवकुमार, प्रकाश गुप्ता, विपुल गुप्ता, राजेश ताम्रकार, नवदीप लूथरा, राधे सिंह, रशीद भाई, प्रकाश नायडू, विजय साहू, दादा बागती, विक्की अली एवं विनोद उपस्थित रहे।

वहीं प्रकृति सेवा संस्थान से भारती रजक, श्रेयश अवस्थी, अंकुश तिवारी, प्रमोद मिश्रा, जय प्रकाश भोई, सुरूचि गोस्वामी, निर्मला साहू, पूजा एवं अमन सिंह की सक्रिय सहभागिता रही।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गणतंत्र दिवस के महत्व को जन-जन तक पहुंचाना तथा राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संविधान के प्रति सम्मान की भावना को सुदृढ़ करना रहा।

नगर निगम अमृतसर द्वारा लोहारका रोड से मीरकट चौक, बटाला रोड (मुल्लिगंज) तक अतिक्रमण हटाओ अभियान

अमृतसर, 29 जनवरी (साहिल बेरी)

शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था, जनसुविधा तथा स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से नगर निगम अमृतसर द्वारा आज लोहारका रोड से मीरकट चौक, बटाला रोड (मुल्लिगंज क्षेत्र) तक व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया।

यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त श्री बिक्रमजीत सिंह शेरगिल तथा सचिव श्री सुषांत भाटिया के निर्देशों के तहत की गई। अभियान का उद्देश्य सड़कों, फुटपाथों एवं सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाकर यातायात जाम की समस्या को कम करना, पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा शहर की स्वच्छता बनाए रखना था।

इस अभियान के दौरान निरीक्षक अमन शर्मा के नेतृत्व में नगर निगम की टीमों ने दुकानों के अवैध विस्तार, अस्थायी ढांचे, सड़कों पर रखा गया सामान एवं अन्य अवरोध हटाए। यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले अतिक्रमणों को हटाकर सड़कों एवं फुटपाथों की मूल चौड़ाई बहाल की गई।

अधिकारियों ने दुकानदारों एवं विक्रेताओं को निर्देश दिए कि वे अपना व्यापार निर्धारित सीमाओं के भीतर ही करें तथा सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण न करें। इसके साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर स्वच्छता बनाए रखने एवं सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग न करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए, जो स्वच्छ भारत मिशन एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप हैं।

नगर निगम ने व्यापारियों, स्थानीय निवासियों एवं आम जनता से अपील की कि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाकर निगम का सहयोग करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके। नागरिकों को यह भी स्मरण कराया गया कि सड़कों एवं फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त रखना सार्वजनिक सुरक्षा, स्वच्छता एवं सुव्यवस्थित शहरी विकास के लिए सामूहिक जिम्मेदारी है।

नगर निगम अमृतसर के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के प्रवर्तन अभियान शहर के विभिन्न हिस्सों में नियमित रूप से जारी रहेंगे, ताकि नगर निगम नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके और अमृतसर को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुगम शहर बनाया जा सके।

उच्चतम न्यायालय द्वारा यूजीसी कानून पर स्टे लगाए जाने पर जताया हर्ष

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। गोधूलीपुरम स्थित श्रीहरिदास धाम स्थित राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ के कैंप कार्यालय पर एक आकस्मिक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें यूजीसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, इसके लिए उच्चतम न्यायालय का आभार व्यक्त किया गया।

वक्ताओं ने कहा की सुप्रीम कोर्ट ने सवर्ण समाज की दर्द का अनुभव किया है। अभी समय है सरकार को तत्काल अध्यादेश निरस्त कर देना चाहिए।यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि अध्यादेश वापस नहीं लिया जाता।

इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित चंद्र लाल शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य आनंद वल्लभ गोस्वामी, जिला अध्यक्ष अखिलेश तिवारी, महानगर अध्यक्ष गोविंद नारायण शर्मा, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पण्डित आर.एन. द्विवेदी उर्फ राजू भैया, उपाध्यक्ष विमल चैतन्य महाराज, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी नीरज गौड़ आदि की उपस्थिति विशेष रही।

डॉ. अमित कांसल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर लहराया 100 फीट ऊंचा तिरंगा

श्री बालाजी ट्रस्ट और कांसल फाउंडेशन ने मनाया गणतंत्र दिवस

संगरूर,29 जनवरी (जगसीर लोगोंवाल)-

गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री बालाजी ट्रस्ट एवं कांसल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में रेलवे स्टेशन पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध शिक्षाविद् एवं समाजसेवी नशा मुक्ति चेतना संघ के प्रांत सह-संयोजक डा. अमित कांसल ने 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों, युवाओं, समाजसेवियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। तिरंगा फहराते समय पूरे परिसर में देशभक्ति के नारों और राष्ट्रगान से वातावरण देशप्रेम से ओतप्रोत हो गया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में डा. अमित कांसल ने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं, बल्कि हमें अपने संविधान, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की याद दिलाने का दिन है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से

स्वदेशी को अपने जीवन में अपनाने, नशा मुक्त जीवन जीने तथा पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। डा. कांसल ने दोहराया कि स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए नशा मुक्त युवा, स्वदेशी सोच और पर्यावरण संरक्षण अत्यंत आवश्यक हैं।

कार्यक्रम के दौरान समाजहित में कार्य करने वाले संगठनों की भूमिका की सराहना की गई और देश की एकता, अखंडता एवं समृद्धि के लिए सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया गया। अंत में सभी उपस्थितजनों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम् के उद्घोष के साथ कार्यक्रम का समापन किया। इस अवसर पर विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी जिला संगरूर के पूर्व अध्यक्ष रिशिपाल, प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर राजीव जिंदल, कांसल फाउंडेशन की चेयरपर्सन व नगर कौंसिल की पूर्व सीनयर उपाध्यक्ष दर्शन कांसल, श्री बालाजी ट्रस्ट से गौरव बंसल, प्रवेश जिंदल व अन्य सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संगरूर के अध्यक्ष कर्मवीर कांसल और महासचिव अरमान कुमार, शिक्षाविद डॉ बालम लिंबा, यश वर्मा,

समाजसेवी श्री प्यारा लाल शर्मा, भगवान दास कांसल और रेलवे फोर्स से सब-इंस्पेक्टर सतवीर सिंह और उनकी पूरी टीम सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने इस भव्य कार्यक्रम में भाग लिया।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा केंद्रीय जेल, अमृतसर का निरीक्षण

अमृतसर, 29 जनवरी (साहिल बेरी)

माननीय श्रीमती जतिंदर कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अमृतसर ने श्री अमरदीप सिंह बैंस, सचिव, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए), अमृतसर के साथ केंद्रीय जेल, अमृतसर का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण श्री राजीव कुमार अरोड़ा, सुपरिंटेंडेंट, केंद्रीय जेल, अमृतसर के सहयोग से संपन्न हुआ। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जेल की कार्यप्रणाली, उपलब्ध सुविधाओं तथा कैदियों के कल्याण की समीक्षा करना था।

निरीक्षण के दौरान माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जेल के विभिन्न हिस्सों—बैरकों, रसोईघरों, चिकित्सा सुविधाओं, स्वच्छता व्यवस्था, रिकॉर्ड रूम तथा सुरक्षा ढांचे—का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने कैदियों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता, पीने के पानी की उपलब्धता, आवासीय स्थलों की स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली का गहन मूल्यांकन किया। कैदियों के लिए मानवीय जीवन परिस्थितियां सुनिश्चित करने तथा जेल प्रशासन से संबंधित कानूनी प्रावधानों के सख्ती से पालन पर विशेष जोर दिया गया।

माननीय न्यायाधीश ने अंडरट्रायल कैदियों एवं दोषसिद्ध कैदियों से व्यक्तिगत रूप से संवाद किया, उनकी समस्याएं और शिकायतें सुनीं तथा जहां आवश्यक हुआ वहां त्वरित समाधान हेतु जेल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने अंडरट्रायल कैदियों की समय पर अदालतों में पेशी तथा न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन के महत्व पर भी विशेष बल दिया।

इस अवसर पर श्री अमरदीप सिंह बैंस, सचिव, डीएलएसए, अमृतसर द्वारा कैदियों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता योजनाओं, प्ली बार्गेनिंग, अपराधों के समझौते के माध्यम से निपटारे तथा विभिन्न कानूनी सेवा कार्यक्रमों के अंतर्गत मिलने वाले लाभों के बारे में जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। उन्होंने कैदियों को उनके कानूनी अधिकारों, कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार तथा डीएलएसए के माध्यम से कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित संवेदनशील और हाशिए पर रहने वाले वर्गों से संबंधित कैदियों पर विशेष ध्यान दिया गया।

इसके अतिरिक्त, जेल में संचालित कानूनी सहायता क्लीनिकों, जेल लोक अदालतों तथा पैरा-लीगल वॉलंटियर्स की भूमिका की भी समीक्षा की गई। कानूनी जागरूकता गतिविधियों को और अधिक सशक्त बनाने तथा योग्य मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए जेल प्रशासन एवं डीएलएसए के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए।

इस निरीक्षण के माध्यम से जिला न्यायपालिका एवं जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, अमृतसर द्वारा न्याय तक पहुंच, कैदियों के अधिकारों की रक्षा तथा कानून के अनुसार उनके पुनर्वास और सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया गया। श्री राजीव कुमार अरोड़ा, सुपरिंटेंडेंट, केंद्रीय जेल, अमृतसर ने निरीक्षण के दौरान दी गई मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया तथा जारी किए गए निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए कैदियों की सुविधाओं एवं कल्याणकारी उपायों में निरंतर सुधार करने का आश्वासन दिया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023